


**ilcon**pbtl

2022

वार्षिक रिपोर्ट



**इरकाँन पीबी टोलवे लिमिटेड**

(इरकाँन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन : U45400DL2014GOI272220

## विजन

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर बीकानेर-फलौदी खंड की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और विकास तथा इससे राजमार्ग परियोजना प्रयोक्ताओं के लाभ को सुनिश्चित करना और निर्मित टोल प्लाजा से उच्च राजस्व सुनिश्चित करना और कंपनी को इष्टतम समयावधि के भीतर अनुमानित परियोजना परिणामों के निर्धारित मानकों के स्तर तक पहुंचाना।

## मिशन

- (i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।
- (ii) परियोजना के क्रियान्वयन और प्रचालनीकरण की उत्तरदायित्वपूर्ण मॉनीटरिंग करना।
- (iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।
- (iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।

## विषयसूची

	<u>पृष्ठ संख्या</u>
निदेशक मंडल	1
संदर्भ सूचना	2
अध्यक्ष का संबोधन	3
निदेशक की रिपोर्ट और इसके परिशिष्ट:	
निदेशक की रिपोर्ट	7
वार्षिक रिटर्न का सार [फार्म सं. एमजीटी-9]	22
संबंधित पक्ष संव्यवहार [फार्म सं. एओसी-2]	36
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	37
वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	41
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए तुलनपत्र	60
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	158

## निदेशक मंडल



श्री अशोक कुमार गोयल  
अध्यक्ष



श्री पराग वर्मा  
निदेशक



श्री रोहित परमार  
निदेशक



श्री मसूद अहमद  
निदेशक



सुश्री रितु अरोड़ा  
निदेशक

## इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

### प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजू मारूति कांबले	: मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री विनोद प्रसाद	: मुख्य वित्त अधिकारी
श्री शशांक पोरवाल	: कंपनी सचिव

### सांविधिक लेखापरीक्षक

ए.एन.गर्ग एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार

### आंतरिक लेखापरीक्षक

एच.के.खन्ना एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार

### सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स जयेश परमार एंड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव

### लागत लेखापरीक्षक

रवि साहनी एंड कंपनी  
लागत लेखापरीक्षक

### बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली

### सम्पर्क व्यक्ति

श्री शशांक पोरवाल  
कंपनी सचिव

ई-मेल : shashank.porwal@ircon.org

### पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत  
नई दिल्ली-110017



## अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों, ✍

सर्वप्रथम, कृपया अपने और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ स्वीकार करें। मुझे इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपीबीटीएल) की आठवीं (8वीं) वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित विवरणों को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आप में से प्रत्येक को इस बैठक में शामिल होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

### कंपनी का परिचय

मैं गणमान्य सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी को राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य सौंपा गया है, और फरवरी 2019 से वाणिज्यिक टोल प्रचालन आरंभ कर दिया है।

परियोजना ने वाणिज्यिक टोलिंग परिचालन स्तर में प्रवेश किया है और सभी तीन टोल प्लाजाओं अर्थात् सालासर, नोखरा और खीरवा पर 159.17 किमी की पूरी सड़क की लंबाई पर टोल संग्रह के माध्यम से राजस्व अर्जित करना आरंभ कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, टोलिंग परिचालन से एकत्र कुल राजस्व 47,14,24,645 रुपये था।

### **वित्तीय निष्पादन**

आपकी कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभ और हानि विवरण में सेवा रियायत करार (एससीए) के अंतर्गत निर्माण संविदा राजस्व सहित इंड एस-115 “ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व” के तहत 5546 लाख रूपए के प्रचालनिक टर्नओवर को स्वीकार किया है।

कंपनी को 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किए गए कार्य संविदागत व्ययों के लिए परियोजना और निर्धारित अन्य व्ययों के कारण दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु 2462 लाख करोड रूपए का निवल करपूर्व घाटा और 2462 लाख रूपए का कर पश्चात घाटा हुआ है।

इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ('सीएजी') ने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर शून्य टिप्पणियां जारी की हैं।

### **अनुपालन और प्रकटन**

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत इसके संबंधित नियमों के अनुसार अनुपालन और प्रकटनों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, यह प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

### **समझौता ज्ञापन (एमओयू)**

आपकी कंपनी ने एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दिए जाने हेतु इरकॉन से अनुरोध किया है।

## आभारोक्ति

मैं धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के बोर्ड सदस्यों व लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को निरंतर समर्थन और सहयोग करने तथा वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट करता हूं। मैं बैंकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), लागत लेखापरीक्षकों तथा सचिवीय लेखापरीक्षकों के व्यापक सहयोग हेतु धन्यवाद करता हूं। मैं, कंपनी के सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की भी प्रशंसा करता हूं।

हम आगे की यात्रा में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड  
हेतु तथा की ओर से

ह0/-  
(अशोक कुमार गोयल)  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 05308809

दिनांक : 4 अगस्त 2022

स्थान : नई दिल्ली



# **बोर्ड की रिपोर्ट**

## **वित्तीय वर्ष: 2021-22**

---

## निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की **8वीं वार्षिक रिपोर्ट** और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

### **1. व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं:**

**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपीबीटीएल)**, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को 30 सितंबर, 2014 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के साथ 7 नवंबर, 2014 को हस्ताक्षरित रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर राजस्थान राज्य में, मौजूदा बीकानेर और फलोदी खंड को 4.200 किमी से 55.250 किमी तक चौड़ा और सुदृढ़ बनाना और एनएच-15 के 55.250 किमी से 163.500 किमी तक पेवड शोल्डर सहित दो लेन (टोल) को सुदृढ़ बनाना है। कंपनी ने 14 नवंबर 2014 को व्यवसाय आरंभ करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है।

इरकॉनपीबीटीएल ने दिनांक 7 नवंबर, 2014 को एनएचआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि नियत तिथि से 26 वर्ष है, जिसकी कुल परियोजना लागत 844.08 करोड़ रुपये है। निर्मित सड़क की कुल लंबाई 159.17 किमी और समकक्ष 2 लेन 210.22 किमी (चार लेन: 51.05 किमी और दो लेन: 108.12 किमी) है। 159.17 किलोमीटर में से दिनांक 15 फरवरी 2019 को एनएचआई द्वारा बीकानेर जिले के सालासर, नोखरा और राजस्थान के जोधपुर जिले के खीरवा में स्थित सभी तीन टोल प्लाजा पर टोलिंग संचालन शुरू करने के लिए 156.650 किलोमीटर की संड़क लंबाई के कार्य के पूरा होने का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया गया है। दिनांक 4 नवंबर 2020 को 2.520 किमी की शेष लंबाई के लिए अनन्तिम प्रमाणपत्र को अपग्रेड किया गया है। बीकानेर-फलोदी परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

परियोजना ने वाणिज्यिक परिचालन स्तर में प्रवेश किया है और 159.17 किलोमीटर की पूरी सड़क लंबाई पर सभी तीन टोल प्लाजा पर टोल संग्रह के माध्यम से राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, अप्रैल 2021 से मई 2021 तक कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण टोल संग्रह प्रभावित हुआ है। मैसर्स काबा इंफ्राटेक प्रा. लिमिटेड को दिए गए, राजमार्ग अनुरक्षण और टोल संग्रह संविदा को दिनांक 08 जून, 2021 को बंद कर दिया गया है। इसके बाद, नीलामी के माध्यम से राजमार्ग अनुरक्षण और टोल संग्रह कार्य, मैसर्स कोरल

एसोसिएट्स को दिया गया है और इस एजेंसी ने दिनांक 09 जून, 2021 से काम करना शुरू कर दिया है।

## टोल राजस्व

राजस्थान के बीकानेर जिले के सालासर, नोखरा और जोधपुर जिले के खीरवा में स्थित तीन टोल प्लाजा से राजस्व वसूली का कार्य निम्नलिखित तिथियों से प्रगति पर है:

टोल/कॉरीडोर का नाम	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्र टोल
सालासर (टीपी – 1)	23,40,17,868
नोखरा (टीपी – 2)	14,42,75,934
खीरवा (टीपी – 3)	9,31,30,843
<b>कुल</b>	<b>47,14,24,645</b>

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रति दिन राजस्व संग्रह वित्त वर्ष 2020-21 में 11.78 लाख रुपये की तुलना में बढ़कर 12.91 लाख रुपये हो गया है।

एनएचएआई की वजह से विभिन्न देरी के कारण, ऐसे लंबित भुगतान, दावे शेष हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है। इन दावों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान के लिए एनएचएआई को प्रस्तुत किया गया है, हालांकि, एनएचएआई द्वारा विचार न किए जाने के कारण और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार, इरकॉन पीबीटीएल ने मध्यस्थता के लिए संपर्क किया है। यह मामला, मध्यस्थता अधिकरण (आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल) के समक्ष विचाराधीन है।

## 2. वित्तीय विशेषताएं:

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

31 मार्च 2022 को वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है :

(राशि लाख रूप में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	16500	16500
2.	अन्य इक्विटी ( रिजर्व और सहित) अतिरेक	441	(3676)

3.	निवल परिसंपत्ति	16941	12824
4.	कर्ज	24066	33600
5.	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	-	-
6.	<b>कुल संपत्ति और देनदारियां</b>	<b>48478</b>	<b>50934</b>
7.	संचालन से राजस्व	5546	5486
8.	अन्य आय	32	44
9.	<b>कुल आय (7)+(8)</b>	<b>5578</b>	<b>5530</b>
10.	<b>कर पूर्व लाभ / हानि</b>	<b>(2462)</b>	<b>(1309)</b>
11.	<b>कर पश्चात लाभ/(हानि)</b>	<b>(2462)</b>	<b>(2138)</b>
12.	प्रति शेयर आमदनी (प्रति शेयर 10 रूपए के अंकित मूल्य पर)		
	(i) मूल	(1.49)	(1.30)
	(ii) विलयित	(1.49)	(1.30)

### 3. आरक्षित निधि पर लाभांश और विनियोग :

निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं करता है।

इंड एस की प्रयोज्यता के अनुसार, वित्तीय विवरणों में 'अन्य इक्विटी' शीर्ष के तहत आरक्षित आय के रूप में आरक्षित आय को परिलक्षित किया गया है और आपकी कंपनी के पास का दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रतिधारित आमदनियों में 441 लाख रूपए का शेष है।

### 4. शेयर पूंजी/डीमेटरियलाइजेशन :

दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी 175 करोड़ रुपये है, जिसमें क्रमशः प्रति 10/- रुपये के 17,50,00,000 इक्विटी शेयर और 165 करोड़ रुपये जिसमें प्रति 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास इरकॉनपीबीटीएल की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी है।

दिनांक 22.01.2019 के कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2019 के नियम 9ए के अनुसार, कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) होने के नाते अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

**5. परियोजना से रोकड़ प्रवाह :**

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह 3656 लाख रूपए है।

**6. सहायक कंपनी/संयुक्त उपक्रम/संबद्ध कंपनियों का ब्यौरा :**

समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं थी।

**7. कोविड-19 का प्रभाव :**

कंपनी ने नोवेल कोरोनावायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए सभी निर्धारित सावधानियां बरती हैं। वित्तीय विवरणों में कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के ब्यौरे को दर्शाया गया है।

**8. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:**

**निदेशक मंडल:**

वर्ष 2021-22 के दौरान पदनाम के साथ निदेशकों की श्रेणी और नाम

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, कंपनी के प्रबंधन का नेतृत्व निम्नलिखित गैर-कार्यपालक (नामिती) निदेशकों द्वारा किया गया है: -

श्रेणी, नाम और पद	डीआईएन	नियुक्ति या समाप्ति (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)
श्री श्याम लाल गुप्ता, अध्यक्ष	07598920	दिनांक 13.05.2021 को निदेशक और अध्यक्ष के पद से पदमुक्त हुए
श्री योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष	07654014	दिनांक 13.05.2021 को निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए और दिनांक 01.10.2021 को अंशकालिक निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए।
श्री अशोक कुमार गोयल*, निदेशक	05308809	-
श्री मुगुंथन बोजू गौड़ा, निदेशक	08517013	-
श्री मसूद अहमद	09008553	दिनांक 02.08.2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त हुए और 18 अगस्त, 2021 को 7वीं एजीएम में नियमित किए गए

सुश्री रितु अरोड़ा	07752915	दिनांक 13.05.2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त हुईं और 18 अगस्त, 2021 को 7वीं एजीएम में नियमित की गईं
श्री पराग वर्मा, निदेशक	05272169	29.12.2021 को निदेशक के पद पर नियुक्त हुए

\*श्री अशोक कुमार गोयल को दिनांक 01.10.2021 को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।

वित्त वर्ष 2021-22 के समाप्त होने के बाद, श्री मुगुनथन बोजू गौड़ा ने अपना नामांकन वापस लेने और श्री रोहित परमार को इरकाँन द्वारा अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने के बाद, कंपनी के निदेशक के पद से दिनांक 1 जून 2022 से कार्यमुक्त हो गई हैं।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, बोर्ड में पांच निदेशक शामिल थे, अर्थात् श्री अशोक कुमार गोयल (डीआईएन: 05308809), श्री पराग वर्मा (डीआईएन: 05272169), श्री मसूद अहमद (डीआईएन: 09008553), सुश्री रितु अरोड़ा (डीआईएन: 00002455) और श्री रोहित परमार (डीआईएन: 08190141)।

बोर्ड ने कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री श्याम लाल गुप्ता और श्री योगेश कुमार मिश्रा द्वारा दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन और सहयोग के लिए सराहना की है।

श्री पराग वर्मा और श्री रोहित परमार को कंपनी के अतिरिक्त अंशकालिक निदेशक के रूप में क्रमशः दिनांक 29 दिसंबर, 2021 और 1 जून, 2022 से नियुक्त किया गया था, जो आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर रहेंगे। शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को आगामी एजीएम की सूचना में शामिल किया गया है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री पराग वर्मा और श्री रोहित परमार ने आगामी वार्षिक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, श्री अशोक कुमार गोयल आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करेंगे।

कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

### प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-203 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव (सीएस) को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

कंपनी के प्रमुख कार्मिक	नियुक्ति की तिथि	पदमुक्ति की तिथि	पद
श्री राजू मारुति कांबले	18 मार्च, 2021	-	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सुश्री मीनाक्षी गर्ग	11 अगस्त, 2020	जुलाई 01, 2021	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री नागेन्द्र जोशी	01 जुलाई, 2021	अगस्त 03, 2021	
श्री एस.के. बंद्योपाध्याय	03 अगस्त, 2021	जनवरी 01, 2022	
श्री अनिल कौशल	24 फरवरी, 2022	-	
श्रीमती अनुराधा कौशिक	31 जनवरी, 2020	-	कंपनी सचिव

वित्त वर्ष 2021-22 के समाप्त होने के बाद, श्री अनिल कौशल दिनांक 02 जून, 2022 को कंपनी के सीएफओ के पद से पदमुक्त हो गए और श्री विनोद प्रसाद को 02 जून, 2022 सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती अनुराधा कौशिक दिनांक 30 जून, 2022 को कंपनी के कंपनी सचिव के पद से पदमुक्त हुईं ।

### 9. बोर्ड की बैठकें:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड ने 15 जून 2021, 19 जुलाई 2021, 10 अगस्त 2021, 10 नवंबर, 2021, 08 फरवरी, 2022 तथा 23 मार्च 2022 को छह (6) बार बैठक की हैं। बोर्ड की बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। बोर्ड की बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

बैठक की तारीख	बार्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
15 जून 2021	4	4
19 जुलाई 2021	4	4
10 अगस्त 2021	5	5
10 नवंबर, 2021	4	4
08 फरवरी, 2022	5	5
23 मार्च 2022	5	5

नीचे दी गई तालिका वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है:

निदेशक का नाम	बैठक दिनांक						कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति का %	क्या 18.08.21 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया
	15.06.2021	19.07.2021	10.08.2021	10.11.2021	08.02.2022	23.03.2022				
श्री योगेश कुमार मिश्रा	✓	✓	✓	-	-	-	3	3	100	हाँ
श्री अशोक कुमार गोयल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6	100	हाँ
श्री बी. मुगुनथन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6	100	हाँ
सुश्री रितु अरोड़ा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6	100	हाँ
श्री मसूद अहमद	-	-	✓	✓	✓	✓	4	4	100	हाँ
श्री पराग वर्मा	-	-	-	-	✓	✓	2	2	100	नहीं



#### **10. स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड समिति तथा डीपीई द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश :**

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम-4 में संशोधन के तहत एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड समितियों का गठन जैस लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, होने के कारण इरकॉनपीबीटीएल को अपने बोर्ड में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित 11 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, डीपीई के कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश, इरकॉन पीबीटीएल पर लागू नहीं हैं।

#### **11. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:**

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि :

- क) दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में, सामग्री प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- ख) ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरंतर लागू किया गया है और निर्णय और अनुमान किए गए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि और उस तिथि को कंपनी के लाभ व कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके।
- ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;

घ) यह कि वार्षिक वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए हैं;

ड.) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

## 12. वार्षिक रिटर्न का सार :

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम-12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-92(3) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का उद्धरण को, इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुबंध-क पर संलग्न किया गया है।

## 13. वित्तीय विवरणों के लिए निदेशकों का अवलोकन और टिप्पणियां

(लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई किसी भी टिप्पणी का स्पष्टीकरण):

वित्तीय विवरणों भाग के रूप में खातों के लिए टिप्पणियाँ स्व-व्याख्यात्मक हैं और उन्हें और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसी कोई अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है जिसके लिए किसी स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।

## 14. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक:

मैसर्स ए.एन. गर्ग एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, को सीएजी के दिनांक 18 अगस्त 2021 के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(1) के तहत आवश्यक लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

लागत लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकारों को लागू नियमों/मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने लागत लेखों और रिकार्डों का अनुरक्षण किया है।

### **सचिवीय लेखापरीक्षक:**

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स जयेश परमार एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

### **आंतरिक लेखापरीक्षक:**

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स एच. के. खन्ना एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

### **15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

### **16. संबंधित पक्षों के साथ निष्पादित संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण:**

वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष लेनदेन, घरक कंपनी, इरकॉन के साथ और व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म लेंथ आधार पर किए गए थे और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमोदित थे। संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण फॉर्म एओसी-2 में, इस रिपोर्ट के "अनुबंध-ख" के रूप में संलग्न है।

### **17. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:**

वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई थीं।

### **18. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय:**

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण नीचे दिए गए हैं:

#### **क. ऊर्जा का संरक्षण:-**

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलग्न नहीं है और इसलिए विवरण प्रस्तुत करना कंपनी पर लागू नहीं है।

**ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -**

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलग्न नहीं है और इसलिए विवरण प्रस्तुत करना कंपनी पर लागू नहीं है।

**ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:-**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा अर्जन और विदेशी मुद्रा व्यय नहीं हुआ।

**19. जोखिम प्रबंधन:**

बोर्ड के मतानुसार, वर्तमान में कंपनी को कंपनी के व्यवसाय के लिए किसी बड़े खतरे/जोखिम की आशंका नहीं है।

**20. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के प्रावधानों के अनुसरण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

**21. कर्मचारियों का विवरण:**

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197 के प्रावधानों और अध्याय-XIII के तहत संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है।

इरकॉन पीबीटीएल के एक सरकारी कंपनी होने के कारण, निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कंपनी के नियम-5(2) (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

**22. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है।

### 23. सार्वजनिक जमा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से कोई जमा राशि आमंत्रित नहीं की है।

### 24. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली है। सभी लेन-देन उचित रूप से अधिकृत, रिकॉर्ड किए गए और प्रबंधन को रिपोर्ट किए गए हैं। कंपनी वित्तीय विवरणों में लेखा बहियों और रिपोर्टिंग को ठीक से बनाए रखने के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है। आपकी कंपनी अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जारी रखती है।

### 25. नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश, जो भविष्य में गोडंग कंसर्न की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित कर रहे हैं

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भविष्य में कंपनी की गोडंग कंसर्न की स्थिति और भविष्य में इसके संचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

### 26. खरीद वरीयता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियां, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक है और सभी सीपीएसई भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर खुद को ऑन-बोर्ड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन के अंतर्गत कंपनी टीआरईडीएस में शामिल हो गई है ताकि एमएसई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनकी प्राप्तियों की छूट और नियत

तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली को सुलभ बनाया जा सके।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 0.20 लाख रूपए के कुल वार्षिक खरीद लक्ष्य की तुलना में 0.08 लाख रूपए मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है।

**27. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटीकरण:**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-22 के अनुसार वर्ष के आरंभ में कोई शिकायत लंबित नहीं थी और न ही वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज की गई थी।

कंपनी, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन (पीओएसएच नीति) की 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' कंपनी पर लागू होती है और इरकॉन की आंतरिक शिकायत समिति, पीओएसएच अधिनियम के तहत सभी मामलों का निपटान करेगी।

**28. सतर्कता तंत्र:**

सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177(9) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

**29. सूचना का अधिकार:**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

**30. बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:**

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से प्रभारी है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्र के तहत भी नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगा।

एक सरकारी कंपनी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, सभी अंशकालिक निदेशकों को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा नामित किया जाता है। इन मनोनीत निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाता है।

### **31. सचिवीय मानक**

वर्ष के दौरान, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

### **32. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-204 के तहत कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम-9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-204 के तहत आवश्यक प्रपत्र एमआर-3 में सचिवीय लेखापरीक्षक से "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट" अनुबंध-ग के रूप में प्रस्तुत की गई है। सचिवीय लेखापरीक्षक ने अयोग्य रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट स्व-व्याख्यात्मक है और इस संबंध में बोर्ड द्वारा किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

### **33. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियाँ**

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शून्य अवलोकन के साथ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न हैं, साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

### **34. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित आवेदन/कार्रवाई**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति कोई कार्रवाई आरंभ /लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

**35. समझौता ज़ापन (एमओयू):**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने इरकॉन से एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक समझौता ज़ापन प्रक्रिया के अनुपालन से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

**36. आभारोक्ति:**

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, लेखापरीक्षकों और हमारे मूल्यवान ग्राहक - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं। हम अपने ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, बैंकरों को वर्ष के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से ही हमारा निरंतर विकास संभव हुआ है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के  
निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से

ह/-

अशोक कुमार गोयल  
अध्यक्ष डीआईएन: 05308809

दिनांक: 04 अगस्त, 2022

स्थान: नई दिल्ली



**फॉर्म सं.एमजीटी 9  
वार्षिक रिटर्न का सार  
31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु**

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा  
कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014  
के नियम 12(1) के अनुसरण में]

**I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा :**

1.	सीआईएन	U45400DL2014GOI272220
2.	पंजीकरण तिथि	30 सितंबर, 2014
3.	कंपनी का नाम	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	सरकारी कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017
6.	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

**II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां:**

कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।

क्र.सं	मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

**III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :**

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक / संबद्ध कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	L45203DL1976GOI008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

\* 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 07 नामितियों के पास हैं।

**IV. शेयर धारिता पैटर्न**

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [ 01.04.2021 को]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [ 31.03.2022 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम	शून्य	165000000	165000000	100%	शून्य	165000000	165000000	100%	शून्य

ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(2) विदेशी</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)</b>	शून्य	165000000	165000000	100%	शून्य	165000000	165000000	100%	शून्य
<b>ख. जन शेयरधारिता</b>									
<b>1. संस्थान</b>									
क) म्युचुवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>उप कुल (ख)(1):-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. गैर-संस्थागत</b>									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>उपकुल(ख)(2):-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	शून्य	165000000	165000000	100%	शून्य	165000000	165000000	100%	शून्य

**टिप्पणियाँ:**

- (1) इरकॉनपीबीटीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- (2) इरकॉन द्वारा प्रति 10/- रुपये के 16,49,99,200 शेयर धारित हैं और प्रति 10/- रुपये के 800 शेयर 7 नामांकित शेयरधारकों के पास "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से" धारित हैं अर्थात छह नामांकित व्यक्तियों के पास प्रति व्यक्ति 100 शेयर हैं और शेष एक नामित शेयरधारक के पास 200 शेयर हैं।

**ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:**

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (1 अप्रैल 2021 को)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31 मार्च 2022 को)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड*	165000000	100%	शून्य	165000000	100%	शून्य	शून्य
	कुल	165000000	100%	शून्य	165000000	100%	शून्य	शून्य

\* प्रमोटरों की शेयरधारिता: 31 मार्च, 2022 तक इरकॉन और उसके नामितों द्वारा शेयरधारिता की सूची अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है।

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (1 अप्रैल 2021 को)		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता (31 मार्च 2022 को)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	165000000	100%	165000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	165000000	100%	165000000	100%

घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (1 अप्रैल 2021 को)		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता (31 मार्च 2022 को)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में				
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए				

	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	<b>लागू नहीं</b>
3.	वर्ष के अंत में	

**ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:**

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (1 अप्रैल 2021 को)		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता (31 मार्च 2022 को)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में				
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में				

\* श्री अशोक कुमार गोयल, श्री पराग वर्मा और सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी के निदेशक "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए और उनकी ओर से" प्रत्येक 10 रुपये के 100 इक्विटी शेयर के धारक हैं।

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

(रूपए में)

विवरण	जमा राशियों सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	336,00,00,000	0	0	336,00,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	0	0	0	0
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	0	0	0	0
<b>कुल (i+ii+iii)</b>	336,00,00,000	0	0	336,00,00,000
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	0	0	0	0
* आवर्धन	95,34,41,446	0	0	0
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	240,65,58,554	0	0	240,65,58,554
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	0	0	0	0
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	0	0	0	0
<b>कुल (i+ii+iii)</b>	240,65,58,554	0	0	240,65,58,554



V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक –

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण *	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन	लागू नहीं	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		
2.	स्टॉक ऑप्शन		
3.	स्वीट क्विटी		
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में		
5.	अन्य, कृपया बताएं		
	<b>कुल (क)*</b>		
	<b>अधिनियम के अनुसार सीमा</b>		

\* इरकॉनपीबीटीएल में धारक कंपनी "इरकॉन" द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालिक निदेशक हैं। वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

**ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:**

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण @	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	<b>कुल (1)</b>		
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	<b>कुल (2)</b>		
	<b>कुल (ख)=(1+2)</b>		
	<b>कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक</b>		
	<b>अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग</b>		

@ वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सभी अंशकालिक निदेशकों को होल्डिंग कंपनी के बोर्ड द्वारा नामित किया गया है। वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक न ले रहे हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्यूटीडी) का पारिश्रमिक:

(रूपए लाख में)

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक						कुल
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ				
		श्री राजु मरुति कांबले* (18.03.2021 से)	सुश्री अनुराधा कौशिक	सुश्री मीनाक्षी गर्ग (01.07.2021 से)	श्री नरेन्द्र जोशी (01.07.2021 से 03.08.2021 तक)	श्री संदीप कुमार बंधोपाध्याय (03.08.2021 से 31.12.2022 तक)	श्री अनिल कौशल (24.02.2022 से)	
1	सकल वेतन							
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	2677747	591946	412104	218837	2730593	-	
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत	-	-	-	-	-	-	

	परिलब्धियों का मूल्य							
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-		
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-		
3	स्वीट क्विटी	-	-	-	-	-		
4	कमिशन	-	-	-	-	-		
	- लाभ के % के रूप में अन्य, बताएं...	-	-	-	-	-		
5	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-	-		
	<b>कुल</b>	2677747	591946	412104	218837	2730593	-	

**नोट:** कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

**VI. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति:**

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति का ब्यौरा	प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय ]	की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)
<b>क. कंपनी</b>					
जुर्माना			शून्य		
दंड					
कंपाउंडिंग					
<b>ख. निदेशक</b>					
जुर्माना			शून्य		
दंड					
कंपाउंडिंग					
<b>ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी</b>					
जुर्माना			शून्य		
दंड					
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-

(अशोक कुमार गोयल)

अध्यक्ष

डीआईएन: 05308809

दिनांक : 04 अगस्त 2022

स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध- 1

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके नामितियों द्वारा शेयर होल्डिंग की सूची

(31 मार्च, 2022 तक)

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (₹.10/- प्रत्येक)
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	16,49,99,200
2.	श्री श्याम लाल गुप्ता	200
3.	श्री अशोक कुमार गोयल	100
4.	श्री योगेश कुमार मिश्रा	100
5.	श्री सुभाष चांद	100
6.	श्री पराग वर्मा	100
7.	श्री सुरजीत दत्ता	100
8.	श्री मुगुनथन बोजु गौड़ा	100
	<b>कुल</b>	<b>165000000</b>

\* छह नामित शेयरधारकों के पास 100 शेयर और एक नामित शेयरधारक के पास 200 शेयर हैं और ये सभी इरकॉन, धारक कंपनी के अधिकारी हैं।

**फार्म सं. एओसी-2**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लेंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

- I) आर्म लेंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार : शून्य।  
 II) आर्म लेंथ आधार पर की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार : निम्नानुसार:

क्र.सं.	संविदा/व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई
1.	<b>पट्टा करार*</b> (इरकॉन इटरनेशनल लिमिटेड के कंपनी पंजीकृत कार्यालय को पट्टे पर लेना)।	<b>तिथि:</b> पट्टा किराया दिनांक 18 मार्च 2021 (नवीकृत)  <b>अवधि:</b> दो वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 21 मार्च 2023 तक)*	प्रति माह 21,236 रूपए जमा लागू जीएसटी की दर से 18 मार्च 2021 को निष्पादित पट्टा करार।	-	शून्य (आज की तिथि को)

इरकॉन के साथ पट्टा करार का दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक रु.21,236/- प्रति माह जमा जीएसटी की दर पर नवीकृत किया गया है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के  
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से  
ह/-  
(अशोक कुमार गोयल)  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 05308809

दिनांक : 04 अगस्त 2022  
स्थान : नई दिल्ली

## जयेश परमार एंड एसोसिएट्स

पेशेवर कंपनी सचिव

91+9899339796

ई-मेल - [csjayeshparmar@gmail.com](mailto:csjayeshparmar@gmail.com)

### निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध

फॉर्म सं. एमआर-3

### सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,

मैसर्स इरकॉन पीबीटीएल इंटरनेशनल लिमिटेड,

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, सीआईएन: U45400DL2014GOI272220 (जिसे यहां आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट देते हैं कि



हमारे मतानुसार, कंपनी ने दिनांक **31 मार्च 2022** को समाप्त की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के अध्याधीन है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार **31 मार्च 2022** को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:
- (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक। एसएस-1 और एसएस-2 की अनुप्रयोज्यता।
- (iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

#### **हम सूचित करते हैं कि:**

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यपालक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, बैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था, और बैठक से पहले कार्यसूची मद्दों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों सहित लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

कृते जयेश परमार एंड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव

ह/-

जयेश परमार  
(प्रोप्राइटर)

एसीएस सं.: 27055

सीओपी: 15007

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 10 मई 2022

यूडीआईएन: A027055D000296467

इस रिपोर्ट को हमारे सम-तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाए जो 'अनुबंध-क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

# जयेश परमार एंड एसोसिएट्स

पेशेवर कंपनी सचिव

91+9899339796

ई-मेल - csjayeshparmar@gmail.com

अनुबंध-क

सदस्य,

मैसर्स इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
- 7.

कृते जयेश परमार एंड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव

ह/-

जयेश परमार

(प्रोप्राइटर)

एसीएस सं.: 27055

सीओपी: 15007

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 10 मई 2022

यूडीआईएन: A027055D000296467

## ए.एन गर्ग एंड कंपनी

### सनदी लेखाकार

#### स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

#### मत

हमने इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (मूल कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी") के वित्तीय विवरणों सहित दिनांक 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण, अन्य वृहत आय का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के एक सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अंतर्गत यथापेक्षित और दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप, इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इसी तिथि का समाप्त वर्ष के लिए अन्य वृहत आय, इसका रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन सहित इसकी हानियों का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

#### मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान

("आईसीएआई") द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत हेतु आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

### **प्रमुख लेखापरीक्षा मामले**

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के दौरान, वर्तमान अवधि के स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से समाधान किया गया है, और हम इन मुद्दों पर पृथक मद उपलब्ध नहीं कराते हैं।

### **वित्तीय विवरण और उसकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना**

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुलग्नक से बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, यदि लागू हो, लेकिन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हैं ।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासनों को निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें शासन के आरोपित लोगों को मामले से अवगत कराना आवश्यक है। चूंकि अन्य सूचना हमें इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

## स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोडिंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोडिंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोडिंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

## वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण

समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों। लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण हैं और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रिय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में

संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती हैं।

- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

### **अन्य मुद्दे**

हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36(ग) पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो कोरोनावायरस (कोविड -19) महामारी की स्थिति के प्रकोप के वित्तीय प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के आकलन का वर्णन करता है, और आगामी अवधि में प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार से विकसित होते हैं।

इस संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

### **अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश")



द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **अनुग्नक-I** के रूप में दे रहे हैं।

2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं, जैसा कि हमने उचित समझा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निदेशों पर **अनुबंध-II** में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार था।

3. (क) अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) उपर्युक्त वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ड) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं;

च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "अनुबंध-III" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(ख) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

क) कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

ख) कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं था, जिसके लिए कोई भी सामग्री हानिकारक नहीं थी।

ग) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

घ) (i) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

(ii) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

(iii) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

ड.) कंपनी ने इस वर्ष लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

(ग) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की उप-धारा (16) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं;

**कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी**  
**सनदी लेखाकार**  
**एफआरएन : 004616N**

ह/-

**ए.एन.गर्ग**  
**(एफसीए साझेदार)**  
**सदस्यता सं. 083687**

**स्थान: नई दिल्ली**  
**दिनांक: 23.05.2022**  
**यूडीआईएन:22083687AJMHAB5680**

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध**

(हमारी समतिथि रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत पैराग्राफ-1 में संदर्भित)

- (i) (क) क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।  
ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (ख) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया है, और अचल संपत्ति रजिस्टर के तहत प्रदर्शित होने वाली अचल संपत्तियों से संबंधित कोई विसंगति नहीं देखी गई है।
- (ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है), परिणामस्वरूप आदेश के खंड 3 (i) (ग), नहीं लागू है।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ.) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- (ii) (क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं हैं और इस प्रकार इस आदेश का खंड 3/3क लागू नहीं है।  
ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रूपए

से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए, खंड 3(ii)(ख) का आदेश लागू नहीं है।

- (iii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है और ना ही कंपनियों, फर्मों या कोई अन्य पक्षों को सीमित देयता भागीदारी के लिए रक्षित या अरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, इसके परिणामस्वरूप, आदेश का खंड 3(iii)(क)(ख)(ग)(घ)(ड.) (च) लागू नहीं होता है।
- (iv) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम की धारा-185 और 186 के तहत निर्धारित कोई ऋण, गारंटी, सुरक्षा या निवेश नहीं किया है, परिणामस्वरूप, आदेश का खंड 3(iv) लागू नहीं होता है।
- (v) कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे जनता द्वारा जमा कराई गई जमाराशि माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं होता है।
- (vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 146(1) के तहत आवश्यकतानुसार लागत रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालांकि, हमें ऐसे खातों और अभिलेखों की न तो कोई विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और न ही कोई विस्तृत जांच की गई है।
- (vii) (क) कंपनी आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और उस पर लागू होने वाले अन्य भौतिक सांविधिक देय सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (मूल कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, अधिकांश कर्मचारी स्टैंडबाय प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं, इसलिए, ऐसे कर्मचारियों से संबंधित सांविधिक बकाया, जैसे कि भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी, व्यावसायिक कर, जो भी लागू हो, मूल कंपनी द्वारा काटा और जमा किया जा रहा है। हालांकि, जो कर्मचारी कंपनी के पेरॉल पर हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों से संबंधित सांविधिक बकाया, जैसे कि भविष्य निधि, व्यावसायिक कर, जो भी लागू हो, कंपनी द्वारा नियमित आधार पर काटा और जमा किया जा रहा है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है और कोई अन्य सांविधिक बकाया दिनांक 31 मार्च 2022 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थे।

सांविधि की प्रकृति	देयों की प्रकृति	अधिकरण जहां विवाद लंबित है	राशि किस अवधि से संबंधित है	रूपए करोड में
आय कर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर अपील अधिकरण	वि.व.2018-19	132

- (viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर पूर्व में रिकॉर्ड न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं की गई है, जिसे कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।
- (ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- ग) हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया था, जिनके लिए वे लिए गए थे।
- घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए अल्पकालिक आधार पर प्राप्त की गई किसी भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।
- ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने इस अधिनियम में परिभाषित अनुसार अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

- च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रिया के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों (अधिनियम में परिभाषित अनुसार) में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है।
- (X) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक आफर या भावी पब्लिक आफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xi) क) कंपनी की बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों में वर्णित प्रमुखता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्रीय सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- ग) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।
- (xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इस प्रकार, आदेश के पैरा 3 (xii) लागू नहीं होती हैं।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों में विवरण का प्रकटन किया गया है।

(xiv) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के अनुसार हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं

(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi)(क) और 3(xvi)(ख) लागू नहीं हैं।

(ख) कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं है।

(ग) लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह की कोई प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(xvii) कंपनी को चालू और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इसलिए, आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, उनकी आयु, उनकी वसूली की संभावित तिथि तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, अन्य संलग्न वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजना के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर और अनुमानों के पक्ष में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़े कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देयताओं को तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं है, को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख



करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निष्पादित कर दिया है।

- (xx) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत, किसी भी परियोजना में कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) लागू नहीं होते हैं।
- (xxi) चूंकि इसमें कोई समेकित वित्तीय विवरण शामिल नहीं है, यह खंड इस कंपनी पर लागू नहीं है।

**कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी**  
**सनदी लेखाकार**  
**एफआरएन : 004616N**

ह/-

**ए.एन.गर्ग**  
**(एफसीए साझेदार)**  
**सदस्यता सं. 083687**

**स्थान: नई दिल्ली**  
**दिनांक: 23.05.2022**  
**यूडीआईएन: 22083687AJMHAB5680**

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध**

**अनुबंध-1**

(हमारी समतिथि रिपोर्ट के शून्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत पैराग्राफ (2) में संदर्भित)

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी में सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए टेलीप्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	हां, कंपनी ने ऋणदाता, उसकी होल्डिंग कंपनी मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ऋण पर आंशिक ब्याज की छूट के लिए आवेदन किया है। होल्डिंग कंपनी ने ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है (नोट 11 और 12 देखें) जिसका लेखांकन इंड एस के अनुसार किया गया है।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गा है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजना के संबंध में कोई धनराशि प्राप्त या प्राप्य नहीं है। अतः यह खंड लागू नहीं होता।

**कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी**

**सनदी लेखाकार**

**एफआरएन : 004616N**

**ह/-**

**ए.एन.गर्ग**

**(एफसीए साझेदार)**

**सदस्यता सं. 083687**

**स्थान: नई दिल्ली**

**दिनांक: 23.05.2022**

**यूडीआईएन: 22083687AJMHAB5680**

**मेसर्स इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुबंध।**

(हमारी सम-तिथिक रिपोर्ट के खंड "अन्यविधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" के अंतर्गत पैरा के संदर्भ में)  
**कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप-खंड 3 के भाग (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2022 को इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

### **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औं संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अशिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

### **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए

लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अशिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

### **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अशिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रशुचित कर सकते हैं।

### **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं**

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण

सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, शर्ती अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

#### **मत**

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2022 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

**कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी**

**सनदी लेखाकार**

**एफआरएन : 004616Nन**

**ह/-**

**ए.एन.गर्ग**

**(एफसीए साझेदार)**

**सदस्यता सं. 083687**

**स्थान: नई दिल्ली**

**दिनांक: 23.05.2022**

**यूडीआईएन: 22083687AJMHAB5680**

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप-निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन : 004616N

ह/-

ए.एन.गर्ग  
(एफसीए साझेदार)  
सदस्यता सं. 083687

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 23.05.2022  
यूडीआईएन: 22083687AJMHAB5680

**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड**  
(सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )  
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र

		(रूपए करोड़ में)		(रूपए करोड़ में)	
विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	
I.	<b>परिसंपत्तियां</b>				
1	<b>गैर चालू परिसंपत्तियां</b>				
	(क) परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	0.23	0.25	
	(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	4	450.72	473.78	
	(ग) वित्तीय परिसंपत्तियां				
	(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	-	-	
	<b>कुल गैर चालू परिसंपत्तियां</b>		<b>450.95</b>	<b>474.03</b>	
2	<b>चालू परिसंपत्तियां</b>				
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां				
	(i) व्यापार प्राप्तियां	7.1	1.11	12.38	
	(ii) नकद और नकद समकक्ष	7.2	3.09	11.30	
	(iii) ऋण	7.3	-	0.08	
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7.4	22.04	4.19	
	(ख) वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	8	7.03	6.96	
	(ग) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	9	0.56	0.40	
	<b>कुल चालू परिसंपत्तियां</b>		<b>33.83</b>	<b>35.31</b>	
	<b>कुल परिसंपत्तियां</b>		<b>484.78</b>	<b>509.34</b>	
II.	<b>इक्विटी और देयताएं</b>				
1	<b>इक्विटी</b>				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	165.00	165.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	11	4.41	-36.76	
	<b>कुल इक्विटी</b>		<b>169.41</b>	<b>128.24</b>	
2	<b>देयताएं</b>				
(I)	<b>गैर मौजूदा देनदारियों</b>				
	(क) वित्तीय देयताएं	12			
	(i) उधार	12.1	209.78	297.04	
	(ii) व्यापार देय				
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं				
	(ख) प्रावधानों	13	40.28	17.76	
	(ग) आस्थगित कर देयताएं नेट	6	7.48	7.48	
	(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं				
	<b>कुल गैर चालू देयताएं</b>		<b>257.54</b>	<b>322.28</b>	
(II)	<b>चालू देयताएं</b>				
	(क) वित्तीय देयताएं	14			
	(i) ऋण		30.88	38.96	
	(ii) व्यापार प्राप्य				
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि"				
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि"	14.1	19.65	15.06	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14.2	7.24	4.76	
	(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	15	0.06	0.04	
	(ग) प्रावधानों	13	-		
	<b>कुल चालू देयताएं</b>		<b>57.83</b>	<b>58.82</b>	
	<b>कुल इक्विटी और देयताएं</b>		<b>484.78</b>	<b>509.34</b>	
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	1 - 2			
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां	3 - 38			0.01

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार  
कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएल- 004616एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-  
ए.एन.गर्ग  
एफसीए भागीदार  
सं.सं: 083687  
यूडीआईएन:20083687AJMHAB5680

ह/-  
(मसूद अहमद)  
(निदेशक)  
डीआईएन: 09008553

ह/-  
(बी.मुगुनथन)  
निदेशक  
डीआईएन: 8517013

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 23.05.2022

ह/-  
(आर.एम.कामले)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-  
(अनिल कौशल)  
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-  
(अनुराधा कौशिक)  
कंपनी सचिव

**इरकान पाबा टालव लामटड**  
(सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )  
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण

विवरण	नोट सं.	(रूप में करोड़ में)	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
I. राजस्व से प्रचालन	16	55.46	54.86
II. अन्य आय	17	0.32	0.44
<b>III. कुल आय (I + II)</b>		<b>55.78</b>	<b>55.30</b>
IV. व्यय :			
परियोजना व्यय	18	38.48	42.70
कर्मचारी लाभ व्यय	19	2.27	2.46
वित्त लागत	20	16.53	0.01
मूल्यहास, परिशोधन और हानि	21	23.10	23.08
अन्य व्यय	18	0.02	0.14
<b>कुल व्यय (IV)</b>		<b>80.40</b>	<b>68.39</b>
V. असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III - IV)		(24.62)	(13.09)
VI. असाधारण मद		-	-
VII. कर पूर्व लाभ (V + VI)		(24.62)	(13.09)
VIII. कर व्यय:			
(1) वर्तमान कर			
- अवधि के लिए		-	-
- पहले के वर्षों के लिए (शुद्ध)		-	-
(2) आस्थगित कर (शुद्ध)	6	-	8.29
कुल कर व्यय		-	8.29
IX. निरंतर संचालन से वर्ष के लिए लाभ (VII - VIII)		(24.62)	(21.38)
X. अन्य व्यापक आय			
क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
ख (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
<b>वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX +X) (लाभ/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर को छोड़कर)</b>		<b>(24.62)</b>	<b>(21.38)</b>
XII. प्रति इक्विटी शेयर आय: (निरंतर संचालन के लिए)			
(1) मूल	29	(1.49)	(1.30)
(2) विलयित	29	(1.49)	(1.30)
अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर		10.00	10.00
XIII महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश			
XIV वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां			

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 004616एन

ह/-

ए.एन.गर्ग

एफसीए भागीदार

सं.सं: 083687

यूडीआईएन:20083687AJMHAB5680

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 23.05.2022

ह/-

(मसूद अहमद)

(निदेशक)

डीआईएन: 09008553

ह/-

(आर.एम.कामले)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-

(बी.मुगुनथन)

निदेशक

डीआईएन: 8517013

ह/-

(अनुराधा कौशिक)

कंपनी सचिव



**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड**  
(सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )  
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण विवरण

विवरण		(रूपए करोड़ में)	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
<b>प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</b>			
कराधान पश्चात निवल लाभ		(24.62)	(13.09)
<b>समायोजन</b>			
प्रावधानों पर रियायत का विघटन		1.08	-
मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि		23.10	23.09
ऋण लागत		15.44	-
ब्याज आय		(0.23)	(0.30)
<b>चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व प्रचालनिक लाभ</b>	<b>(1)</b>	<b>14.77</b>	<b>9.70</b>
<b>समायोजन</b>			
व्यापार प्राप्तियों में कमी / (वृद्धि)		11.27	(2.80)
सूची में कमी / (वृद्धि)		-	-
अन्य परिसंपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(17.94)	47.52
(कमी) / व्यापार देय में वृद्धि		4.60	8.05
(कमी) / अन्य देनदारियों, वित्तीय देनदारियों और प्रावधानों में वृद्धि		23.95	16.96
	<b>(2)</b>	<b>21.88</b>	<b>69.73</b>
<b>संचालन से उत्पन्न नकद</b>	<b>(1+2)</b>	<b>36.65</b>	<b>79.43</b>
आयकर (भुगतान किया गया)/प्राप्त धनवापसी		(0.09)	0.18
<b>परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद</b>	<b>(क)</b>	<b>36.56</b>	<b>79.61</b>
<b>निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>			
सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद		(0.02)	(0.14)
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति / अमूर्त संपत्ति की खरीद		-	(0.01)
प्राप्त ब्याज		0.25	0.30
(निवेश) / बैंक जमा की परिपक्वता (3 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली)		-	-
<b>निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद</b>	<b>(ख)</b>	<b>0.23</b>	<b>0.15</b>
<b>वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>			
इरकॉन (होलिडिंग कंपनी) से ऋण		-	-
इरकॉन (होलिडिंग कंपनी) को ऋण की अदायगी		(45.00)	(81.22)
अंतिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) का भुगतान किया गया		-	-
भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		-	-
प्रतिधारित आय में पूर्व अवधि की आय का समायोजन		-	-
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान		-	-
प्राप्त ऋण		-	-
शेयरों के बाय बैक के लिए डीआईपीएम को भुगतान		-	-
<b>वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद</b>	<b>(ग)</b>	<b>(45.00)</b>	<b>(81.22)</b>
विदेशी मुद्रा नकद और नकद समकक्षों के अनुवाद पर विनिमय अंतर का प्रभाव	<b>(घ)</b>	-	-
<b>नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध कमी</b>	<b>(क+ख+ग+घ)</b>	<b>(8.21)</b>	<b>(1.46)</b>
<b>नकद और नकद समकक्ष खोलना</b>	<b>(ड.)</b>	<b>11.30</b>	<b>12.76</b>
नकद शेष		-	-
बैंकों के साथ संतुलन		11.30	12.76
लघु अवधि के निवेश		-	-
<b>नकद और नकद समकक्षों को बंद करना</b>	<b>(च)</b>	<b>3.09</b>	<b>11.30</b>
नकद शेष		-	-
बैंकों के साथ संतुलन		3.09	11.30
लघु अवधि के निवेश		-	-
<b>नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी)</b>	<b>(च-ड.)</b>	<b>(8.21)</b>	<b>(1.46)</b>

(रूपए करोड में)		
विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
हाथ में पैसे		
हाथ में चेक/ड्राफ्ट		
पारगमन में प्रेषण		
बैंकों के साथ शेष राशि:		
चालू खातों पर	1.60	2.13
फ्लेक्सी खाते	1.49	9.17
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	-	-
<b>तुलन पत्र और रोकड़ प्रवाह के स्टैंडअलोन विवरणों के अनुसार</b>	<b>3.09</b>	<b>11.30</b>
<b>कुल नकद और नकद समकक्ष</b>		

^ 3.09 करोड रुपये की कुल शेष राशि में से, 1.50 करोड रुपये एस्क्रो खाते से संबंधित हैं जो एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित धन हैं।

3. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में प्रकटन और समापन शेष के बीच समाधान:

(रूपए करोड में)

विवरण	ऋण
<b>1 अप्रैल 2020 तक</b>	<b>417.23</b>
(क) वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(81.22)
(ख) वर्ष के दौरान गैर-नकद परिवर्तन के कारण:	
इंड एस-116 के रूप में संक्रमण प्रभाव	
अर्जित ब्याज	
<b>31 मार्च 2021 तक</b>	<b>336.01</b>
(क) वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(45.00)
(ख) वर्ष के दौरान गैर-नकद परिवर्तन के कारण:	
संभावित पूंजी अंशदान में अंतरण	(65.79)
काल्पनिक रुचि	15.44
<b>31 मार्च 2022 तक</b>	<b>240.66</b>

3. प्रकाष्ठ में आंकडे रोकड के बाहरी प्रवाह को दर्शाते हैं।

4. जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकडों को पुनसमूहित/पुनःनिर्धारित किया गया है।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 004616एन

ह/-

ए.एन.गर्ग

एफसीए भागीदार

सं.सं: 083687

यूडीआईएन:20083687AJMHAB5680

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 23.05.2022

ह/-

(मसूद अहमद)

(निदेशक)

डीआईएन: 09008553

ह/-

(आर.एम.कामले)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-

(बी.मुगुनथन)

निदेशक

डीआईएन: 8517013

ह/-

(अनुराधा कौशिक)

कंपनी सचिव

## 1. कंपनी का परिचय

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("इरकॉन पीबीटीएल") (सीआईएन) यू45400डीएल2014 जीओआई1272220), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब इसका निगमन इरकॉन द्वारा 30.09.2014 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक विशेष कार्य वाहन के रूप में किया गया था और इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 में किमी 55.250 से किमी 163.50 तक बीकानेर-फलोदी खंड को चौड़ा करने और सुदृढीकरण की परियोजना को प्रदान करने के लिए 07 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर की शर्तों के अनुसार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी)(टोल) आधार पर किया गया था। कंपनी ने व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 10 अक्टूबर 2014 को फॉर्म सं. 21 पर एमसीए को आवेदन प्रस्तुत किया और 14 नवंबर 2014 को उसे अनुमोदन प्राप्त हो गया था। तदनुसार एसपीवी ने 4 नवंबर 2014 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत करार के अनुच्छेद 24, खंड 24.1 के प्रावधानों के अनुसार, रियायत ग्राही को करार की तिथि से 180 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करना अपेक्षित है ताकि एनएचएआई परियोजना के वास्तविक कार्य आरंभ होने से पूर्व वह नियुक्ति तिथि, जिसे निर्धारित तिथि कहते हैं, की अधिसूचना कर सके। रियायतग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय समापन पूरा कर लिया गया था; तदनुसार, एनएचएआई द्वारा 14 अक्टूबर 2015 को नियुक्ति तिथि निर्धारित की गई थी। निर्माण अवधि सहित 26 वर्ष की रियायत अवधि 14 को आरंभ हुई जैसा कि एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियुक्ति अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार एनएचएआई द्वारा 327.00 करोड़ रूपए के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) उपलब्ध कराया जाएगा।

कंपनी को दिनांक 15 फरवरी 2019 को अनन्तिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (डीओडी) प्राप्त हुई है और तत्पश्चात दूसरा अनन्तिम प्रमाणपत्र दिनांक 4 नवंबर 2020 को प्राप्त

हुआ है।

कंपनी का प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारती रूपया है। है। वित्तीय विवरणों के आंकड़े करोड़ रूपए में हैं और उन्हें प्रति शेयर डाटा और अन्यथा उल्लिखित को छोड़ कर दो दशम्वब तक राउंड ऑफ किया गया है।

## 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### 2.1 तैयार करने का आधार

i. कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची-III) की अनुसूची-III के भाग-II, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

ii. वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :-

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।

### 2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

i. कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

ii. किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।

- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
  - यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य
- iii. कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति के रूप में किया है।
- iv. कोई देयता चालू तब होती है जब :
- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
  - जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
  - जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
  - जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।
- v. कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू देयता के रूप में किया है।
- vi. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।
- vii. परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

### 2.3 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर-रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

## 2.4 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

### i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है :

- क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल
- ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं
- ग) परिसम्पत्ति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पत्ति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।
- घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।
- ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

### ii. अनुवर्ती मापन

- सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।
- दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।
- मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

### iii. मूल्यहास एवं उपयोज्यता काल

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी जवनकाल/वर्ष
भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर-आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8-15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3-6
कार्यालय उपकरण	5 -10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवाँ, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3-5
वाहनों	8-10

ध के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यहास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यहास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।
- अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/- रूपए है, का पूर्ण मूल्यहास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए हैं।

- मूल्यहास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार “सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।”

#### iv. स्वीकृति समाप्ति

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते हैं। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### 2.5 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेषित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

### 2.6 निवेश परिसम्पतियां

#### i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है।
- निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।



- लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पत्ति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

## ii. अनुवर्ती मापन एवं मूल्यहास

- निवेश सम्पत्तियों की प्रस्तुति संचित मूल्य हास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पत्ति के भवन घटक का मूल्य हास क्रय / निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पत्ति का परिशोधन नहीं किया गया है।
- बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।
- निवेश सम्पत्ति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यहास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।
- कम्पनी अपनी निवेश सम्पत्ति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

## iii. स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पत्तियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पत्ति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

## 2.7 अमूर्त परिसम्पतियां

### i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण “विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां” के रूप में किया गया है।

### ii. अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

- पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।
- अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन / घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से / निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।
- परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

### iii. स्वीकृति समाप्ति

- अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग

में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

**iv. टोल एकत्रण अधिकार (टोल रोड सेवा रियायत करार)**

- क)** निर्माण-प्रचालन-अंतरण(बीओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी व्यवस्थाओं (पीपीए) के संबंध में, अमूर्त परिसंपत्तियों अर्थात् टोल/टैरिफ को एकत्र करने का अधिकार तब स्वीकृत होत है जब कंपनी को टोल/टैरिफ वसूलने के अधिकार दिए गए हों। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं और इस तरह के अधिकारों के उपयोगकर्ता नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए कंपनी पर बिना शर्त के अधिकार नहीं देते हैं और जब यह संभावित होता है कि अधिकारों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।
- ख)** कंपनी एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे (निर्माण या उन्नयन सेवाओं) का निर्माण करती है या निर्दिष्ट अवधि के लिए उस बुनियादी ढांचे (प्रचालन सेवाओं) का प्रचालन और अनुरक्षण करती है। इन व्यवस्थाओं में सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को इसके संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल के लिए शामिल किया जा सकता है।
- ग)** रियायत समझौतों के तहत, जहां कंपनी को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार मिला है, ऐसे अधिकारों को इंड एस 115 - सेवा रियायत व्यवस्था के परिशिष्ट-ग के अनुसार "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है।
- घ)** धनराशि प्राप्त करने का इस प्रकार का अधिकार बिनाशर्ता अधिकार नहीं होता है क्योंकि यह मात्रा उस सीमा तक आकस्मिक है कि जनता सेवा का उपयोग किस स्तर तक करती है और इस प्रकार इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति को कंपनी द्वारा लागत पर स्वीकार किया जाता है (जो प्रस्तुत निर्माणत सेवाओं के लिए प्राप्त

या प्राप्य उचित मूल्य है) और इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब परियोजना सभी मामलों में पूर्ण होती है और जब कंपनी रियायत समझौते में निर्दिष्ट अनुसार प्राधिकरण से परियोजना पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है।

- ड.) रियायत व्यवस्था के तहत ली गई संपत्ति को निपटान पर या उसके भविष्य के उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती है।
- च) सेवा रियायत की व्यवस्था जो अमूर्त संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है, संचयी निर्माण लागत पर स्वीकार की जाती है। परियोजना के निर्माण के पूरा होने तक, इस तरह की व्यवस्था को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में स्वीकार किया जाता है और संचयी निर्माण लागत पर मान्यता प्राप्त होती है।
- छ) कंपनी इक्विटी सहायता की प्रकृति में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) को स्वीकार करती है। वीजीएफ की कुल संभावित राशि को विकासाधान अमूर्त परिसंपत्तियों (सेवा रियायत करार के अंतर्गत सृजित) से कम किया जाता है और चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्राप्यों को स्वीकार किया जाता है। वीजीएफ के प्रति प्राप्त किसी राशि को तत्पश्चात चालू वित्तीय परिसंपत्तियों से कम किया जाता है।
- ज) सेवा रियायत व्यवस्था में एक अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन वह अवधि है जहां से कंपनी रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को चार्ज करने में सक्षम है।
- झ) टोल एकत्रण अधिकार को रियायती अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाए गए अधिकार के अतिरिक्त या उक्त तिथि से प्रो-राटा के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है।
- ट) परिशोधन के तरीकों और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर अनुमानित परिवर्तन किए जाते हैं।
- ठ) अमूर्त परिसंपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं है।

## 2.8 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

## 2.9 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

### i) प्रावधान

- (क) प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।
- (ख) जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।
- (ग) कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

## ii) दुर्वह संविदाएं

(क) दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात् वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

(ख) इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

## iii) आकस्मिक देयताएं

(क) ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिर्प्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

(ख) इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

## iv) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

## 2.10 राजस्व स्वीकृति

- i. कंपनी इंड एस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार निर्माण से राजस्व को स्वीकार कराती है और मापन करती है।
- ii. कंपनी को प्राप्त या प्राप्य धनराशि वित्तीय परिसंपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति का अधिकार है। कंपनी रोकड़ को प्राप्त करने के अशर्त अधिकार के स्तर तक वित्तीय परिसंपत्ति को स्वीकार करती है, जो निर्माण सेवाओं के लिए प्रदाता के निदेश पर या से विशिष्ट निर्धारणीय राशि है और कंपनी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार करती है, जो उसे सार्वजनिक सेवा के प्रयोक्ताओं से प्रभार वसूलने के एकमात्र और विशिष्ट अधिकार है।
- iii. कंपनी प्रदाता को संवर्धित सेवा के अंतरण द्वारा निष्पादन दायित्व के संतोष पर संविदागत राजस्व को स्वीकार करती है। कंपनी का कार्यनिष्पादन परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन करती है इसलिए, कंपनी समय के साथ नियंत्रण को अंतरित करती है और समय के साथ निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है।
- iv. संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं हैं) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को लेनदेन के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है जैसे जीएसटी और इसे परिवर्ती धराशि के साथ समायोजित किया जाता है।
- v. कंपनी की संविदा की प्रकृति मूल्य वृद्धि तथा तरलता क्षतियों सहित विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करती है।
- vi. संव्यवहार के मूल्य में किसी प्रकार का अनुवर्ती परिवर्तन संविदा में निष्पादन के दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है, जैसा संविदा के निर्धारण के समय होता है।
- vii. कंपनी परिवर्ती धनराशि हेतु राजस्व को स्वीकार करती है, जब यह संभावना है कि संचयी रूप से स्वीकृत राजस्व राशि में कोई महत्वपूर्ण व्युत्क्रम उत्पन्न नहीं होगा।

कंपनी सर्वाधिक संभावित राशि पत्रति का प्रयोग करके परिवर्ती धनराशि के रूप में राजस्व अनुमान राशि को स्वीकार करेगी।

- viii. इसके परिणामस्वरूप, संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है।
- ix. कंपनी निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय पर राजस्व को स्वीकार है, यदि किसी भी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है:
- ग्राहक साथ ही साथ इकाई निष्पादन के रूप में इकाई के कार्यनिष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त और उपभोग करता है।
  - इकाई का निष्पादन परिसंपत्ति का निर्माण या संवर्धन करता है (उदाहरण के लिए, प्रगतिरत कार्य) जिसे ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति के निर्माण या वृद्धि पर नियंत्रित किया जाता है।
  - इकाई का निष्पादन इकाई के लिए वैकल्पिक उपयोग हेतु परिसंपत्ति नहीं बनाता है और इकाई को आज तक पूरा किए गए कार्यनिष्पादन के भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।
- x. समय के साथ संतुष्ट कार्यनिष्पादन दायित्व के लिए, स्वीकृत राजस्व प्रगति का माप, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रदर्शन निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की ओर किया जाता है। प्रगति को आज की तारीख तक वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार कार्यनिष्पादन दायित्व के प्रति कुल अनुमानित लागत पर मापा जाता है।
- xi. निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि के अनुप्रयोग द्वारा मापा जाता है। जहाँ संविदाओं में निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता है वहाँ आउटपुट विधि लागू की जाती है, जो समग्र रूप से निष्पादन दायित्व के पूर्ण संतोष के स्तर पर कंपनी के निष्पादन को प्रदर्शित करता है।
- xii. संविदागत आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब पर स्वीकृत संवर्धन, विलोपन या परिवर्तन किए गए हों।



xiii. संविदाओं में संशोधन के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में शामिल की गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है या नहीं। शामिल की गई सेवाएं जो पृथक नहीं हैं, उनका संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो सेवाएं पृथक होती हैं, उन्हें या तो पृथक संविदा के रूप में देखा जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडएलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा संविदा की समाप्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है, यदि स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

xiv. **संविदा शेष**

- **संविदा परिसम्पतियां :** किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- **व्यापार प्राप्य :** प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात् प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- **संविदागत दायित्व :** संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताओं की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

xv) **टोल एकत्रण से राजस्व**

कंपनी टोल एकत्रक को तब स्वीकार करती है जबकभी इसे संव्यवहार मूल्य पर एकत्र किया जाता है यथा प्रयोग शुल्क, जो कि तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र राशि से अलग है।

## xvi) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

### 2.11 गैर-वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

- (i) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पत्ति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।
- (ii) उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व-कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।
- (iii) साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात

से परिसम्पत्ति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पत्ति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यहास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

## 2.12 मालसूचियां

- i) मालसूचियों (स्क्रेप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।
- ii) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।
- iii) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।
- iv) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।
- v) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

## 2.13 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पत्ति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

## 2.14 कर्मचारी लाभ

### i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर-डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

### ii) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ तथा दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ तथा दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ का प्रावधान धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किए जाते हैं क्योंकि कंपनी में कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं।

## 2.15 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पत्ति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

## 1) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

### क) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

- कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यहास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यहास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।
- यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यहास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।
- उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

### ख) पट्टा दायित्व

- कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में

शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पत्ति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

- पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात् पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पत्ति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

- कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

#### ग) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

- कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात् वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पत्ति छूट

का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

- कम्पनी द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एस116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

## ii) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परकामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पत्ति होने पर की गई है।

## 2.16 चालू आय कर

- चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन संबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के अह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक

मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

- चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने की है।

## 2.17 आस्थगित कर

- आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।
- आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।
- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।
- आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर



तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

## 2.18 प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

## 2.19 प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की संख्या का औसत है।

प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

## 2.20 विदेशी मुद्राएं

### (i) कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

- वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन ("कार्यात्मक मुद्रा") करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

### (ii) संव्यवहार एवं शेष

- विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

- रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर-मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।
- मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पत्ति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

## 2.21 उचित मूल्य मापन

(i) कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

(ii) उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

(क) उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा

(ख) उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में, उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

(iii) किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

(iv) किसी गैर-वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पत्ति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

(v) कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर-प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

(vi) सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:—

(क) स्तर 1—समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य

(ख) स्तर 2—मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

(ग) स्तर 3— मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर-प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

(vii) ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

(viii) महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

(ix) उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

(x) ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

## 2.22 शेयरधारकों को लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश के संवितरण को उस अवधि के लिए देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में लाभांश को स्वीकृति प्रदान की गई है। किसी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत अनुसार देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। देय लाभांश और लाभांश संवितरण कर को प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

## 2.23 वित्तीय उपकरण

- वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

i) वित्तीय परिसम्पतियां

### (क) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

- वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

### (ख) अनुवर्ती मापन

- अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

क. परिशोधन लागत पर नामे उपकरण

- निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है

- और
- ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यो मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।
- ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।
- ख. अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)
- निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :
- क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।
- एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।
- ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण
- एफवीटीपीएल ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के

मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

#### ध. इक्विटी उपकरण

- इंड एस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।
- यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।
- एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

#### ड. वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

- क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्क्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।
- ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।
- ग. इंड एस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य
- घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एस 115 के दायरे में है।
- ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।
- च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।
- कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए 'सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया है:
    - क. व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
    - ख. सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एस 116 के दायरे में हैं।
  - सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।
  - वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है

तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता निभत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

- लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पत्ति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।
- ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:—
- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्य: ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात् तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात् एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर "संचित परिशोधन राशि" के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।
- कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात् ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पत्ति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पत्ति नहीं की गई है।



### च. वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति

- (क) किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।
- (ख) वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त/प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

### ii) वित्तीय देयताएं

#### (क) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

- सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।
- कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

#### (ख) अनुवर्ती मापन

- वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

(क) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

(ख) परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

क. ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

- प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति

तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

ख. वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

- किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

### iii) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

### iv) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय

मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

#### iv) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

#### 2.24 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां

(क) जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर-चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

(ख) यदि इंड एस 105 “बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां” के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियों का मापन

(1) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यहास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पत्ति का वर्गीकरण न होगा, तथा

(2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है।

मूल्यहास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पत्ति तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर-चालू परिसम्पत्तियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

## 2.25 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक / अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

## 2.26 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

- उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं।
- ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले

परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

- रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

**(i) संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान**

- व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

**(ii) आकस्मिताएं**

- कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पत्ति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकें।

**(iii) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता**

- वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी

के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

**(iv) कर**

- जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।
- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

**(v) गैर-वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता**

- अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पत्ति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

**(vi) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां**

- जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर-चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

**(vii) पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान**

- कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारित तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

**(viii) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण—पट्टेदार के रूप में कम्पनी**

- कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।
- कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के

सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात् महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

### (ix) राजस्व स्वीकृति

- कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है, जो 2.10 पर उपलब्ध है, जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।
- इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।
- अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान
- इनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।



अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड**  
(सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )  
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूप करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2020 को शेष	165.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
1 अप्रैल 2021 को शेष	165.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	165.00

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूप करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरिक्त			प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि		
1 अप्रैल, 2020 तक शेष राशि	-	(15.38)	-	-	(15.38)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	0.00	-	-	0.00
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार शेष राशि (पुनःलेखांकित)	-	(15.38)	-	-	(15.38)
वर्ष का लाभ	-	(21.38)	-	-	(21.38)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	0.00
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप	-	-	-	-	0.00
विदेशी मुद्रा अंतरण अंतर	-	-	-	-	0.00
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	(21.38)	-	-	(21.38)
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को शेष	-	(36.76)	-	-	(36.76)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरिक्त			विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि		
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	-	(36.76)	-	-	(36.76)
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	-	(36.76)	-	-	(36.76)
वर्ष का लाभ	-	(24.62)	-	-	(24.62)
संभावित पूंजी अंशदान - अतिरिक्त					
अन्य व्यापक आय			65.79		65.79
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप	-	-		-	-
विदेशी मुद्रा अंतरण अंतर	-			-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	(24.62)		-	(24.62)
प्राप्त ब्याज	-	-		-	-
लाभांश वितरण कर	-	-		-	-
<b>31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु</b>	<b>-</b>	<b>(61.38)</b>	<b>65.79</b>	<b>-</b>	<b>4.41</b>

नोट: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ने 12 अगस्त, 2021 को बोर्ड की मंजूरी के माध्यम से कंपनी को दिए गए ऋण पर 01 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए ब्याज माफ कर दिया है। उक्त छूट को संभावित पूंजी अंशदान माना गया है। होल्डिंग कंपनी द्वारा उपरोक्त इक्विटी और अन्य इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में इंड-एएस के प्रावधानों के अनुसार दर्शाया गया है। (नोट 11 देखें)

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 004616एन

ह/-

ए.एन.गर्ग

एफसीए भागीदार

सं.सं: 083687

यूडीआईएन:20083687AJMHAB5680

ह/-

(मसूद अहमद)

(निदेशक)

डीआईएन: 09008553

ह/-

(आर.एम.कामले)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-

(बी.मुगुनथन)

निदेशक

डीआईएन: 8517013

ह/-

(अनुराधा कौशिक)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 23.05.2022

**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )**  
**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट**

**3 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

विवरण	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	कुल
<b>क) सकल वहन राशि (लागत पर)</b>				
<b>31 मार्च 2020</b>	<b>0.05</b>	<b>0.10</b>	<b>-</b>	<b>0.15</b>
परिवर्धन	-	0.13	0.01	0.14
निपटान/समायोजन	-	-	-	-
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	-
<b>31 मार्च 2021</b>	<b>0.05</b>	<b>0.23</b>	<b>0.01</b>	<b>0.29</b>
प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति में अंतरण	-	-	-	-
<b>1 अप्रैल 2021</b>	<b>0.05</b>	<b>0.23</b>	<b>0.01</b>	<b>0.29</b>
परिवर्धन	0.01	0.005	-	0.02
निपटान/समायोजन	-	-	-	-
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	-
<b>31 मार्च 2022</b>	<b>0.06</b>	<b>0.24</b>	<b>0.01</b>	<b>0.31</b>
<b>ख) मूल्यहास और हानि</b>				
<b>31 मार्च 2020</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>-</b>	<b>0.02</b>
वर्ष के लिए मूल्यहास शुल्क	0.01	0.01	-	0.02
हानि	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	-
<b>31 मार्च 2021</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>-</b>	<b>0.04</b>
<b>1 अप्रैल 2021</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>-</b>	<b>0.04</b>
वर्ष के लिए मूल्यहास शुल्क	0.01	0.02	0.002	0.04
हानि	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	-
<b>31 मार्च 2022</b>	<b>0.03</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
<b>ग) निवल बही मूल्य</b>				
<b>31 मार्च 2022</b>	<b>0.03</b>	<b>0.19</b>	<b>0.01</b>	<b>0.23</b>
<b>31 मार्च 2021</b>	<b>0.03</b>	<b>0.21</b>	<b>0.01</b>	<b>0.25</b>
<b>31 मार्च 2020</b>	<b>0.04</b>	<b>0.09</b>	<b>-</b>	<b>0.13</b>

**फुट नोट:**

i) वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास और हानि लाभ और हानि के विवरण में नामे किए गए हैं: -

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास	0.04	0.02
क्षतिपूर्ति हानि	-	-
<b>कुल</b>	<b>0.04</b>	<b>0.02</b>

ii) कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार, "इस अवधि के दौरान अर्जित संपत्ति संयंत्र और उपकरण, व्यक्तिगत रूप से रु 5000 / - तक की लागत को पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है, पहचान के लिए 1 रुपये को टोकन मूल्य के रूप में रखते हुए" वित्तीय वर्ष 2020-12 के दौरान, कुछ अचल संपत्तियों को कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया गया है और पहचान उद्देश्यों के लिए 1 रुपये पर पूंजीकृत किया गया है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति (टोल रोड) (नोट 23 देखें)	अमूर्त संपत्ति (टोल रोड) (नोट 23 देखें)	अन्य अमूर्त ( सॉफ्टवेयर)
<b>सकल ब्लॉक</b>			
1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष	16.94	520.76	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.01	1.88	-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	1.88	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन #	15.07	-	-
31 मार्च 2021 को अंतिम शेष	-	522.64	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 पर अंतिम शेष राशि	-	522.64	-
# टोल रोड के लिए ईपीसी अनुबंध के कारण अतिरिक्त प्रावधान और सृजित संपत्ति को बट्टे खाते में डालना			
<b>परिशोधन और हानि</b>			
1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष	-	25.80	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	23.06	-
वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021 को अंतिम शेष राशि	-	48.86	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	23.06	-
वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 पर अंतिम शेष राशि	-	71.92	-
<b>कुल बही मूल्य</b>			
31 मार्च 2022	-	450.72	-
31 मार्च 2021	-	473.78	-

टिप्पणी:-

1. अमूर्त संपत्ति (टोल रोड) में आइटा इन्फ्रास्ट्रक्चर का मूल्य भी शामिल है जिसमें टोल रोड के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ-साथ कुछ छाटा चल संपत्तियां भी शामिल हैं जो टोल रोड के ईपीसी कार्यों के साथ समूहित की जाती हैं। यह अलग से परिकलन योग्य नहीं है और संपत्ति का एक अभिन्न अंग है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

विवरण	(रूपए करोड़ में) 31 मार्च 2022 को	(रूपए करोड़ में) 31 मार्च 2021 को
5 गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		
क) वसूली योग्य : अरक्षित		
प्रतिभूति जमा राशि		
अन्य	-	-
<b>कुल (क)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ख) संदिग्ध समझे गए	-	-
<b>कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध (ख)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (क+ख)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

6 आस्थगित कर संपत्ति और आयकर

इंड एस 12 "आयकर" के अनुसार प्रकटीकरण

(क) 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	लाभ और हानि अनुभाग वर्तमान आयकर : वर्तमान आयकर शुल्क पिछले वर्ष के वर्तमान कर के संबंध में समायोजन आस्थगित कर : अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित	- - -	- - 8.29
	लाभ और हानि खंड में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	-	8.29
2	अन्य व्यापक आय (ओसीआई) खंड वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त मर्दों से संबंधित आयकर: परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्माप पर शुद्ध हानि/(लाभ) विदेशी परिचालन अंतरण पर शुद्ध हानि/(लाभ)	- - -	- - -
	ओसीआई खंड में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 22 और 31 मार्च 21 के लिए भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलान

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	आयकर से पहले लेखांकन लाभ	(24.63)	(13.09)
2	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कॉर्पोरेट कर की दर	26%	26%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	-	-
4	कर समायोजन का प्रभाव:		
(i)	पिछले वर्षों के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	-	-
(ii)	पहले से गैर-मान्यता प्राप्त कर हानियों का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर का प्रभाव	-	-
(iv)	आय पर कर से छूट	-	-
(v)	कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती योग्य खर्च: अन्य देश के अतिरिक्त कर अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	- -	- -
(vi)	विभिन्न अन्य मर्दों का कर प्रभाव	-	8.29
5	लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	-	8.29
6	प्रभावी कर की दर		

(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों के घटक और (देयताएं) तुलन पत्र और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	तुलन पत्र		लाभ हानि विवरण	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यहास और आयकर मूल्यहास में अंतर ^^	(66.87)	(56.12)	10.75	16.28
2	प्रावधानों	6.40	0.54	(5.86)	(0.54)
3	अन्य/व्यापार हानि	52.99	48.10	(4.89)	(7.45)
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मर्दें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पहले के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर प्रभावी व्यय का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
6	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ / हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	(7.48)	(7.48)	(0.00)	8.29

^^ व्यावसायिक हानि के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति को परम्परागत रूप में पीपीई और अमूर्त संपत्ति से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देयता तक सीमित कर दिया गया है। 2.39 करोड़ रुपये की आस्थगित कर संपत्ति को लेखा नीति 2.17 के अनुरूप विवेक के मामले के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(रूपए करोड़ में )

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	59.39	48.64
2	विलम्बित कर देयता	(66.87)	(56.12)
	<b>आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएं) (शुद्ध)</b>	<b>(7.48)</b>	<b>(7.48)</b>

नोट: आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों को ऑफसेट कर दिया गया है क्योंकि वे एक ही शासी कानूनों से संबंधित हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देनदारियों)/परिसंपत्तियों का समाधान:

31 मार्च 2022 को

(रूपए करोड़ में )

क्र.सं	विवरण	लाभ और हानि के			
		1 अप्रैल 2021 तक निवल शेष	विवरण में मान्यता प्राप्त	आईओसी में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2022 तक निवल शेष
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यहास और आयकर मूल्यहास में अंतर ^^	(56.12)	10.75	-	(66.87)
2	प्रावधानों	0.54	(5.86)	-	6.40
3	अन्य/व्यापार हानि	48.10	(4.89)	-	52.99
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मर्दे	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पहले के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित व्यय का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
6	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ / हानि	-	-	-	-
	<b>निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)</b>	<b>(7.48)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>-</b>	<b>(7.48)</b>

31 मार्च 2021 को

(रूपए करोड़ में )

क्र.सं	विवरण	लाभ और हानि के			
		1 अप्रैल 2020 तक निवल शेष	विवरण में मान्यता प्राप्त	आईओसी में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2021 तक निवल शेष
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यहास और आयकर मूल्यहास में अंतर ^^	(39.84)	16.28	-	(56.12)
2	प्रावधानों	-	(0.54)	-	0.54
3	अन्य/व्यापार हानि	40.65	(7.45)	-	48.10
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मर्दे	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पहले के वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित व्यय का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
6	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ / हानि	-	-	-	-
	<b>निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)</b>	<b>0.81</b>	<b>8.29</b>	<b>-</b>	<b>(7.48)</b>



7.1 वर्तमान वित्तीय आस्तियां - व्यापार प्राप्तियां

(करोड़ रूपए में) (करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	अरक्षित - वसूली योग्य	1.11
व्यापार प्राप्तियां जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-
हानि भत्ता (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता)		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
व्यापार प्राप्तियां जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-
<b>कुल</b>	<b>1.11</b>	<b>12.38</b>

व्यापार प्राप्य अवधि अनुसूची

विवरण	बिल न किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल (करोड़ रूपए में)
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवाद व्यापार प्राप्य - वसूली योग्य			1.11					1.11
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि								-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि								-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली योग्य								-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई								-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि								-

विवरण	बिल न किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल (करोड़ रूपए में)
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवाद व्यापार प्राप्य - वसूली योग्य			6.01	6.37				12.38
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि								-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि								-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली योग्य								-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई								-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि								-

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

7.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रूपए करोड़ में)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
<i>बैंकों में शेष राशि:</i>		
चालू खाते <sup>^</sup>	1.60	2.13
फ्लेक्सी खाते <sup>^</sup>	1.49	9.17
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां (i) व (iii)	-	-
	<b>3.09</b>	<b>11.30</b>

<sup>^</sup> 3.09 करोड़ रुपये की कुल शेष राशि में से, 1.50 करोड़ रुपये एस्करो खते से संबंधित हैं, जो एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि हैं।

7.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(रूपए करोड़ में )

(रूपए करोड़ में )

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
<b>(i) अन्य :</b>		
लंबित ऋण एवं अग्रिम	-	0.08
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>0.08</b>

\* निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा :

(रूपए करोड़ में )

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
□	-	-
स्टाफ ऋण और अग्रिम में शामिल निदेशकों से देय राशि	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

7.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (रूपए करोड़ में) (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
<b>वसूली योग्य : अरक्षित</b>		
सुरक्षा जमा		
सरकारी विभाग	0.03	0.03
अन्य	-	-
बयाना राशि	-	-
इस पर अर्जित ब्याज:		
बैंकों में जमा राशि	0.004	0.01
संविदागत संपत्ति:		
बिल योग्य राजस्व / अप्राप्य बकाया (देखें फुटनोट (i) और नोट-33(ख)(ii))	0.19	0.83
ग्राहक के पास प्रतिधारण राशि (नोट-33(ख)(ii) देखें)	-	0.96
ग्राहकों से वसूली योग्य दावे (नोट-38(ग) देखें)	21.25	-
अन्य (नोट-38(घ) देखें)	0.57	2.36
<b>कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूलीयोग्य</b>	<b>22.04</b>	<b>4.19</b>
<b>संदिग्ध माने गए : अरक्षित</b>		
कुल	22.04	4.19

(i) 0.19 करोड़ रुपये का बिल योग्य राजस्व, किए गए कार्य के मूल्य को दर्शाते हैं, जो मेसर्स कोरल एसोसिएट्स से प्राप्य हैं, लेकिन इसे अगले वित्तीय वर्ष में ग्राहक को बिल किया गया है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

8 वर्तमान संपत्ति - वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	(रूपए करोड़ में)	(रूपए करोड़ में)
विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
टीडीएस और अग्रिम कर सहित भुगतान किए गए कर (कर के प्रावधान का शुद्ध)	7.03	6.96
वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	7.03	6.96

इरकाँन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

9 अन्य चालू परिसंपत्तियां	(रूपए करोड़ में)	(रूपए करोड़ में)
विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
<b>वसूली योग्य - अरक्षित</b>		
पूँजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम		
माल और सेवाकर	0.47	0.31
पूर्वेप्रदत्त व्यय	0.09	0.09
संदिग्ध समझे गए - अरक्षित	-	-
<b>कुल</b>	<b>0.56</b>	<b>0.40</b>

**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )**

**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट**

**10 इक्विटी शेयर पूंजी**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
<b>प्राधिकृत शेयर पूंजी</b>		
प्रति 10 रुपये के 17,50,000,000 (संख्या) इक्विटी शेयर (17,50,00,000 (संख्या) 30 जून 2021 को प्रत्येक 10 रुपये	175.00	175.00
<b>जारी/सदस्यता और चुकता पूंजी</b>		
प्रति 10 रुपये के 16,50,00,000 (संख्या) इक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदात्त (16,50,00,000 (संख्या) 10 रुपये के इक्विटी शेयर 30 जून 2021 को पूर्णतः प्रदात्त)	165.00	165.00
	<u>165.00</u>	<u>165.00</u>

**प्रमोटरों की शेयरधारिता**

विवरण	अवधि / वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा धारित शेयर				वर्ष/अवधि के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
	क्र.सं	प्रमोटर का नाम *	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
31 मार्च 2022 को	1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड- होल्डिंग कंपनी (इरकॉन)	165,000,000	100.00%	लागू नहीं
	2				

विवरण	अवधि / वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा धारित शेयर				वर्ष/अवधि के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
	क्र.सं	प्रमोटर का नाम *	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
31 मार्च 2021 को	1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड- होल्डिंग कंपनी (इरकॉन)	165,000,000	100.00%	लागू नहीं
	2				

**कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण**

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021		31 मार्च 2020 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड- होल्डिंग	165,000,000	100.00%	165,000,000	100.00%	165,000,000	100.00%

**(क) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण**

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड- होल्डिंग	165,000,000	100.00%	165,000,000	100.00%

**(ख) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का समाधान**

विवरण	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	
	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी/सदस्यता और प्रदात्त इक्विटी पूंजी बकाया	165,000,000	165.00	165,000,000	165.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान शेयर बाय बैक	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अशदायी और प्रदात्त इक्विटी पूंजी बकाया	<b>165,000,000</b>	<b>165.00</b>	<b>165,000,000</b>	<b>165.00</b>

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

11 अन्य इक्विटी	(रूपए में ) (	(रूपए करोड़ में)	(रूपए करोड़ में)
विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021 को
प्रतिधारित आमदनी	(613,887,808)	(61.38)	(36.76)
सामान्य आरक्षित निधि	-	-	-
पूँजी प्रतिधारित आरक्षित निधि	-	-	-
संभावित पूँजी अंशदान (नौचे नोट 12.1 (ख) और नोट (ख) को देखें)	657,883,776	65.79	-
अन्य वृहत आय	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>43,995,968</b>	<b>4.41</b>	<b>(36.76)</b>
<b>i) संचलन निम्नानुसार है:-</b>			
<b>(क) प्रतिधारित आमदनियां</b>			
आरंभिक शेष	(367,654,703)	(36.76)	(15.38)
लाभ हानि विवरण से अतिरिक्त में अंतरण	(246,233,105)	(24.62)	(21.38)
<b>समापन शेष</b>	<b>(613,887,808)</b>	<b>(61.38)</b>	<b>(36.76)</b>
<b>(ख) संभावित पूँजी अंशदान</b>			
	657,883,776	65.79	-
<b>(ग) सामान्य आरक्षित निधि</b>			
आरंभिक और समापन शेष	-	-	-
<b>(घ) अन्य वृहत आय</b>			
आरंभिक और समापन शेष	-	-	-
<b>सकल योग (क+ख+ग+घ)</b>	<b>43,995,968</b>	<b>4.41</b>	<b>(36.76)</b>

ii) **अन्य आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्य:**

**(ए) सेवानिवृत्त आय**

प्रतिधारित आय कंपनी के अवितरित लाभ को दर्शाती है

**(ख) संभावित पूँजी अंशदान**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ने दिनांक 12 अगस्त, 2021 को बोर्ड की मंजूरी के माध्यम से कंपनी को 01 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है। उक्त छूट को होल्डिंग कंपनी द्वारा इक्विटी और अन्य इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में इंड-एएस के प्रावधानों के अनुसार संभावित पूँजी अंशदान के रूप में माना गया है।

**(ग) सामान्य आरक्षित निधि**

सामान्य आरक्षित निधि, वैधानिक निधि को दर्शाती है, यह कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक हिस्सा सामान्य आरक्षित निधि के लिए विभाजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, किसी भी राशि को सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित करना कंपनी के विवेक पर है।

**(घ) अन्य वृहत आय की मदें**

अन्य वृहत आय, विदेशी परिचालनों के अंतरण पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न शेष राशि को दर्शाती है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

12 गैर चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

12.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं - ऋण (रूपए करोड़ में) (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
-------	---------------	---------------

अरक्षित:

(क) होल्डिंग कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) से ऋण (नीचे नोट और नोट 14 को देखें )

209.78 297.04

कुल

209.78 297.04

नोट:

(क) अन्य अल्पकालिक ऋणों के लिए पुनर्भुगतान की शर्तों का विवरण और अन्य अरक्षित दीर्घकालिक ऋणों के संबंध में विवरण: -

विवरण और ऋण की शर्तें	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का अरक्षित ऋण (नीचे नोट बी देखें)	240.66	336.00
घटाएं: वर्तमान परिपक्वता (अगले वित्तीय वर्ष में चुकाई जाने वाली राशि) के तहत दिखाया गया है - वर्तमान वित्तीय देनदारियां - ऋण, नोट 14	30.88	38.96
<b>गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियां-उधार के तहत दिखाई गई राशि</b>	<b>209.78</b>	<b>297.04</b>

(ख) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ने दिनांक 12 अगस्त, 2021 के बोर्ड की मंजूरी के तहत 01 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए अपने ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है। कंपनी ने ऋण के उचित मूल्य और उचित मूल्य और के बीच के अंतर को मापा है। ऋण राशि को इंड एस के प्रावधानों के अनुसार अन्य इक्विटी के तहत "संभावित पूंजीगत अंशदानप" के रूप में प्रस्तुत किया गया है (नोट 11 देखें)।



इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

13 प्रावधान (रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		-	-
अन्य प्रावधान	13.1	40.28	17.76
<b>कुल</b>		<b>40.28</b>	<b>17.76</b>
चालू		-	
गैर चालू		40.28	17.76

13.1 अन्य प्रावधान

विवरण	अनुरक्षण	अन्य व्यय	कुल
<b>31-मार्च-2020 तक</b>	<b>-</b>	<b>15.67</b>	<b>15.67</b>
चालू	-	15.67	15.67
गैर चालू	-	0.00	0.00
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	17.76	2.93	20.69
कम: वर्ष के दौरान उपयोग	-	(0.60)	(0.60)
कम: वर्ष के दौरान बाय बैक (विनिमय लाभ) / हानि	-	(18.00)	(18.00)
रियायतों का स्थगन	-	-	0.00
<b>31-मार्च-2021 तक</b>	<b>17.76</b>	<b>0.00</b>	<b>17.76</b>
चालू	-	-	-
गैर चालू	17.76	-	17.76
वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया	21.44	-	21.44
कम: वर्ष के दौरान उपयोगिता	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस लिखें^^ (विनिमय लाभ) / हानि	-	-	-
रियायतों का स्थगन	1.08	-	1.08
<b>31 मार्च 2022</b>	<b>40.28</b>	<b>-</b>	<b>40.28</b>
चालू	-	-	-
गैर चालू	40.28	-	40.28

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

14 चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

चालू वित्तीय देयताएं - ऋण	(रूपए करोड़ में)	(रूपए करोड़ में)
विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
अन्य वित्तीय देयताएं- दीर्घकालिक उधारों की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 12.1 देखें) - असुरक्षित	30.88	38.96
<b>कुल</b>	<b>30.88</b>	<b>38.96</b>

14.1 चालू वित्तीय देयताएं - व्यापार प्राप्य

चालू वित्तीय देयताएं - व्यापार प्राप्य	(रूपए करोड़ में)	(रूपए करोड़ में)
विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (नोट 35 देखें)	-	-
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा		
(i) डेक्रेडर और आपूर्तिकर्ता	1.71	0.14
(ii) संबंधित पक्ष (टिप्पणी 28 देखें)	17.94	14.92
<b>कुल</b>	<b>19.65</b>	<b>15.06</b>

नोट :

क) कंपनी अधिनियम, 2013 / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नोट 35.5 में प्रदान किए गए हैं

ख) संबंधित पक्षों के साथ नियम और शर्तें और अन्य शेष राशि नोट 28 में प्रकट की गई हैं

व्यापार देय अवधि अनुसूची

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		
			सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	9.86	9.79		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-				-		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि					-		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि					-		

रूपए करोड़ में

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		
			सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	15.06				15.06		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि					-		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि					-		

14.2 चालू देयताएं - अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
जमा राशि, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि	6.59	0.60
फास्ट टैग खाते पर ग्राहक को देय राशि (एमएचएआई)	0.003	0.31
अन्य देय (देय कर्मचारियों सहित)	0.65	3.85
<b>कुल</b>	<b>7.24</b>	<b>4.76</b>

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

15 अन्य चालू देयताएं	(रूपए करोड़ में)	(रूपए करोड़ में)
विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
क) अन्य		
वैधानिक बकाया	0.06	0.04
कुल	<u>0.06</u>	<u>0.04</u>

(नोट - सांविधिक बकाया में माल और सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक लंबित देयताएं शामिल हैं)

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

16 प्रचालनों से राजस्व :	(रूपए करोड़ में )	(रूपए करोड़
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
एससीए के तहत निर्माण अनुबंध राजस्व (नोट 23 देखें)	-	0.01
निर्माण अनुबंध राजस्व - कार्यक्षेत्र में परिवर्तन (नोट 23 देखें)	7.86	11.66
टोल संचालन से राजस्व (नोट 23 और 33 देखें)	47.18	43.19
अन्य परिचालन राजस्व	0.43	-
<b>कुल</b>	<b>55.46</b>	<b>54.86</b>

17 अन्य आय

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
<b>ब्याज आय :</b>				
बैंक ब्याज सकल	0.23	0.23	0.30	0.30
घटाएं:- ग्राहकों को दिया जाने वाला ब्याज		-		-
	-	0.23	-	0.30
<b>अन्य :</b>				
विविध आय		0.09		0.14
<b>कुल</b>		<b>0.32</b>		<b>0.44</b>

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

18 परियोजना और अन्य व्यय

(रूप करोड़ में )

विवरण	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय	-	0.60	-	-
टोल रोड संचालन व्यय	5.60	8.02	-	-
कार्य उप-अनुबंध (कार्यक्षेत्र में परिवर्तन)	7.86	11.66	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय, आदि।	0.73	0.60	-	-
मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	0.02	0.14	-	-
संचालन और रखरखाव - टोल रोड	1.24	0.78	-	-
किराया - गैर-आवासीय (नोट 34 देखें)	0.03	0.04	-	-
दरें और कर	-	0.01	-	-
वाहन संचालन और रखरखाव	0.16	-	-	-
बिजली, बिजली और पानी के शुल्क	0.22	1.66	-	-
बीमा	0.91	1.76	-	-
यात्रा और परिवहन	0.04	0.01	-	-
छपाई और स्टेशनरी	0.01	0.01	-	-
डाक, टेलीफोन और टेलेक्स	-	0.10	-	-
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	0.19	0.11	-	-
बट्टे खाते में डालना - विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	-	15.07	-	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (नीचे नोट देखें)	-	-	0.018	0.018
विज्ञापन और प्रचार	-	-	0.005	0.12
विविध व्यय	0.03	0.04	-	-
प्रावधान (जमा - बट्टा खाता) (संदर्भ नोट 13)	21.44	2.69	-	-
प्रयुक्त प्रावधान (संदर्भ नोट 13)	-	(0.60)	-	-
<b>कुल</b>	<b>38.48</b>	<b>42.70</b>	<b>0.02</b>	<b>0.14</b>

नोट : सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखा परीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.011	0.009
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.003	0.003
(ग) त्रैमासिक सीमित समीक्षा के लिए शुल्क	0.005	0.004
(घ) प्रमाणन शुल्क	-	0.00
(ड.) यात्रा और जेब से खर्च:		
यात्रा खर्च	-	-
कर्मचारी द्वारा किया गया खर्च	-	-
<b>कुल</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220 )

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

19 कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ (नोट 26 देखें)

(रूपए करोड़ में )

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		
		परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल
वेतन, पारिश्रमिक और बोनस		1.98	-	1.98	2.13	-	2.13
भविष्य और अन्य निधियों में योगदान		0.11	-	0.11	0.13	-	0.13
विदेश सेवा योगदान		-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति लाभ		0.18	-	0.18	0.20	-	0.20
स्टाफ कल्याण		-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>		<b>2.27</b>	<b>-</b>	<b>2.27</b>	<b>2.46</b>	<b>-</b>	<b>2.46</b>

(निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों के पारिश्रमिक के विवरण के लिए नोट 28 देखें)

20 वित्त लागत

(रूपए करोड़ में )

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय (नोट संख्या 38 (छ) देखें)		15.44	-
कम:- ऋण निधियों पर अर्जित ब्याज		-	-
अन्य उधार लागत			
- बैंक गारंटी और अन्य शुल्क		0.01	0.01
प्रावधानों पर रियायतों का समापन		1.08	-
<b>कुल</b>		<b>16.53</b>	<b>0.01</b>

फुट नोट:-

21 मूल्यहास, परिशोधन और हानि

(रूपए करोड़ में )

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास		0.04	0.02
उपयोग के अधिकार का मूल्यहास - पट्टा संपत्ति		-	-
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन		23.06	23.06
निवेश संपत्ति का मूल्यहास		-	-
<b>कुल</b>		<b>23.10</b>	<b>23.08</b>

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (यूडीआईएन:20083687एएएडीवाई8630)

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट: - 22

क. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

क) दिनांक 31 मार्च, 2022 तक श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं: \*

(रूपए करोड में)

विवरण	उचित मूल्य				
	वहन	मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
(i) निवेश	-	-	-	-	-
(ii) ऋण	-	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	22.04	-	-	-	-
कुल	22.04	-	-	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	240.66	-	-	
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	7.24	-	-	
<b>कुल</b>	<b>247.89</b>			

(ख) दिनांक 31 मार्च 2021 को श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य निम्नानुसार है: \* (रूपए करोड में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)	-	-	-	-
म्युचुवल फंड में निवेश				
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश		-	-	
(ii) ऋण	0.08	-	-	
(iii) अन्य व्यापार परिसंपत्तियां	4.20	-	-	
<b>कुल</b>	<b>4.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(रूपए करोड में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
			-	



(i) ऋण	336.00	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	4.76	-	-
<b>कुल</b>	<b>340.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है कि रोकड़ और रोकड़ समतुल्य, व्यापार प्राप्त, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताओं की वहन राशियां मुख्य रूप से अल्पावधि की हैं।

वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस पर इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में उपकरण का आदान-प्रदान किया जा सकता है। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ और मान्यताएँ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के अनुरूप हैं। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था

i) इन वित्तीय विवरणों में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की अग्रणीत राशि, उनके उचित मूल्यों के उचित अनुमान पर आधारित है, क्योंकि कंपनी यह अनुमान नहीं लगाती है कि अग्रणीत राशि उन मूल्यों से काफी अलग होंगे, जो राशि अंततः प्राप्त होंगी या जिस पर निपटान किया जाएगा।

ii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देनदारियों की अग्रणीत राशि मुख्य रूप से उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य का अनुमान लगाती है।

\* वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 के दौरान, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

### **ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

## क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्त, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

### (i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करती है और उसे विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा बना रहता है। कंपनी के महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 तक, संबंधित विदेशी मुद्रा की प्रत्येक 1% वृद्धि या कमी से हमारे लाभ को क्रमशः शून्य रूपए और शून्य रूपए का प्रभाव पड़ा है।

### (ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है, जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के साथ कर मुक्त बांड और जमा राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को ऋण / उधार पर कोई ब्याज जोखिम नहीं है क्योंकि यह ब्याज की निश्चित दर है।

## ख) ऋण जोखिम

कंपनी की ग्राहक प्रोफाइल में भारत और विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में एकत्र अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक / कॉरपोरेट गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है।

कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है, जो उचित ध्यान और प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करता है।

### व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

### ऋण जोखिम का खतरा

विवरण	(रूपे करोड में)	
	31/03/2022	31/03/2021
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानियों (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा प्रावधान को मापा गया		
गैर चालू निवेश	-	-
गैर चालू ऋण	-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
चालू निवेश	-	-
रोकड एवं रोकड समतुल्य	3.09	11.30
अन्य बैंक शेष	-	0.08
चालू ऋण	21.86	2.41
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके स्वीकृति मापन हेतु वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
व्यापार प्राप्य	1.11	12.38
संविदागत परिसंपत्तियां	0.19	1.79

सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके हानि प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	31/03/2022	31/03/2021
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
अंतिम प्रावधान	-	-

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रुपये (31 मार्च, 2021: शून्य रुपये) की हानि को स्वीकार किया है के नुकसान भत्ते को मान्यता दी है।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	31/03/2022	31/03/2021
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
अंतिम प्रावधान	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रुपये (31 मार्च, 2021: शून्य रूपए) की हानि को स्वीकार किया है के नुकसान भत्ते को मान्यता दी है।

### ग) तरलता जोखिम

"कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। वित्त विभाग नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के प्रोफाइल और तुलनपत्र में तरलता अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।

कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन अपनी निवेश नीति की निगरानी करता है और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन अपनी निवेश नीति का अनुरक्षण करती है और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करती है। कंपनी आमतौर पर भारत सरकार के बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। प्रमुख हानि के संभावित जोखिम को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, इस नीति में आमतौर पर निवेश ग्रेड की आवश्यकता होती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	30.88	29.44	180.34
व्यापार प्राप्य	19.65	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	7.24	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	176.82	182.58
व्यापार प्राप्य	15.06	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	4.76	-	-

#### घ) अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। जोखिम किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास हेतु कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

### ग) पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता को बनाए रखने और सुरक्षित रखने की क्षमता के रूप में अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ दे सके। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान इस प्रकार किया है: -

कंपनी ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए अपनी धारक कंपनी से दीर्घकालीन ऋण के रूप में वित्त वर्ष 2021-22 में शून्य रूप (वित्त वर्ष 2021-22 तक संचित रूप से 291,00,00,000) प्राप्त किए हैं।

#### ऋण इक्विटी अनुपात :-

(रूपए करोड में)

विवरण	31-मार्च-2022	31-मार्च-2021
ऋण (नोट सं 12.1 व 14.2)	240.66	336.00
<b>दीर्घकालीन ऋण</b>	<b>240.66</b>	<b>336.00</b>
इक्विटी (नोट सं.10)	165.00	165.00
अन्य इक्विटी (नोट सं.11)	4.41	(36.76)
<b>कुल इक्विटी</b>	<b>169.41</b>	<b>128.24</b>
<b>ऋण इक्विटी अनुपात</b>	<b>1.42</b>	<b>2.62</b>

#### नोट 23: इंड एस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व संबंधी सेवा रियायत व्यवस्थाएं (एससीए)

सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं को परिशिष्ट "ग" - सेवा रियायत व्यवस्था, इंड एस-115 से "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार रिकार्ड की गया है। यह एससीए इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र में आता है जिसकी दोनों शर्तें नीचे दी गई हैं:

क) गारंटर इस बात को नियंत्रित या विनियमित करता है कि प्रचालक को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ कौन सी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, किससे उन्हें प्रदान करना चाहिए, और किस कीमत पर; तथा

ख स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा- व्यवस्था की अवधि के अंत में बुनियादी ढांचे में कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट ब्याज के माध्यम से नियंत्रित करता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को आरंभिक स्तर पर उस लागत पर स्वीकार किया जाता है जो प्रचालक को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते कि ये शुल्क उस स्तर तक सशर्त हों, जिस पर सेवा का उपयोग किया जाता है।

इन अमूर्त संपत्तियों को आरंभिक तौर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे सेवा के उचित मूल्य के रूप में समझा जाए और साथ ही साथ इसमें प्रचालन के लिए उत्तरदायी अन्य लागत भी शामिल हैं। तत्पश्चात उन्हें रियायत की अवधि में परिशोधन किया जाता है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल) (प्रचालक) ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ दिनांक 7 नवंबर 2014 को एक सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके संदर्भ में एनएचएआई (अनुदानदाता) ने कंपनी को बीकानेर पलौदी खंड के चार लेन की परियोजना के विकास, वित्तपोषण, डिजाइन के इंजीनियर, प्रापण, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव लिए अधिकृत किया है और इसके पूरा होने पर अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग और/या लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईपीबीटीएल का दायित्व है कि वह बीकानेर-पलौदी खंड की चार लेन की परियोजना का निर्माण पूरा करे और परियोजना की परिसंपत्तियों को उन सभी परियोजनाओं परिसंपत्तियों सहित उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है।

रियायत की अवधि नियुक्ति तिथि से 26 वर्ष होगी, जो दिनांक 14 अक्टूबर 2015 से आरंभ होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को वापस स्थानांतरित कर दी जाएंगी। समझौते के संदर्भ में सामग्री के उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉन पीबीटीएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना को ठीक करने में सक्षम नहीं होने पर समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी राजस्व और लागत को निर्माण के पूरा होने के चरण के संदर्भ में इंड एस-115 के अनुसार स्वीकार करती है। कंपनी संदिवा राजस्व को उचित मूल्य पर मापती है। व्यवस्था के निर्माण के चरण के दौरान, कंपनी की 522.64 करोड़ की संपत्ति (अपने संचित अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हुए निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान किया जाता है, जिसे एनएचएआई से इक्विटी का समर्थन प्राप्त है) को एक अमूर्त संपत्ति (बुनियादी ढांचे के उपयोगकर्ता को प्रभारित करने के लिए लाइसेंस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 04.11.20 को 100% भौतिक समापन के लिए अनंतिम सीओडी प्राप्त किया गया है, उस सीमा तक अमूर्त संपत्ति बनाई गई है। इस स्तर तक

अमूर्त परिसंपत्तियों को सृजित किया गया है। कंपनी ने 31.03.202 तक की अवधि के लिए सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर शून्य रूपए (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपये) के राजस्व को स्वीकार किया है। कंपनी ने 31.03.2022 तक 7.86 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 11.66 करोड़ रुपये) के लिए टोल रोड के दायरे में परिवर्तन (सीओएस) कार्यों के लिए राजस्व को मान्यता दी है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था और सीओएस कार्यों के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण पर शून्य लाभ को मान्यता दी है। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के संबंध में स्वी कार्य राजस्व सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। टोल रोड के 95.96% भौतिक समापन के बाद टोल रोड का प्रचालन दिनांक 15 फरवरी 2019 से शुरू हो गया है, और कंपनी ने टोल सड़कों के प्रचालन से 47.61 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष - 43.19 करोड़ रूपए) के राजस्व के रूप में उपयोग शुल्क को स्वीकार किया है।

*रियायत समझौते के अनुसार यातायात सीमा के ऊपर एकत्रित उपयोग शुल्क को अतिरिक्त शुल्क कहा जाता है। चूंकि, नवंबर 2020 में हाल ही में टोल रोड पूरा हो गया है और वर्तमान में अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए इसका कोई प्रावधान या आकलन नहीं किया गया है।*

### निर्माण संविदा

इंड एस-115 "ग्राहकों से साथ अनुबंध से राजस्व" में आवश्यक प्रकटीकरण के संदर्भ में, तुलन पत्र की तारीख तक के वित्तीय विवरणों में विचार की गई राशि इस प्रकार है: -

रूपए करोड में

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
निर्माण गतिविधियों से स्वीकृत राजस्व	7.86	11.67
टोल प्रयोग शुल्क से स्वीकृत राजस्व	47.18	43.19
लाभ/हानि में वहन एवं स्वीकृत लागत की सकल राशि	7.86	11.67
संविदा कार्यों/टोल रोड हेतु ग्राहक से देय सकल राशि	1.11	12.38



## नोट 24: इंड एस-1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

## नोट: 25 इंडएस-8 "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां" में यथापेक्षित प्रकटीकरण।

वर्ष के दौरान कंपनी ने "लाभांश" से संबंधित लेखा नीति में बदलाव किया है। कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संशोधित लेखा नीति नीचे दी गई है और इन संशोधनों को बोल्ड करके प्रदर्शित किया गया है।

लेखांकन नीति में प्रस्तावित संशोधन
<b>लाभांश</b>
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी गई हो। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संबंधित कर, यदि कोई हो, को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

## नोट:- 26 कर्मचारी लाभ

इंड एस-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार हैं:

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) में कार्यरत कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल पर हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन/डेबिट इसकी होल्डिंग कंपनी से लिया जाता है। इंड एस -19 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इसकी धारक कंपनी द्वारा अपनी लेखा नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और पेंशन योगदान को नियमित रूप से पीएफ ट्रस्ट के साथ धारक कंपनी द्वारा जमा किया गया है।

नोट-27 लाभ और हानि में स्वीकृत विदेशी मुद्रा :

शून्य

नोट:- 28 संबंधित पक्ष संव्यवहार

इंड एस-24 "संबंधित पक्ष संव्यवहार" के अनुपालन में प्रकटन इस प्रकार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) धारक कंपनी

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(ii) गैर-कार्यपालक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री श्याम लाल गुप्ता	अध्यक्ष ( 13 मई 2021 तक)
श्री योगेश कुमार मिश्रा	अध्यक्ष ( 13 मई 2021 से 01.10.2021)
श्री अशोक कुमार गोयल	निदेशक*
श्री पराग वर्मा	निदेशक (29.12.2021)
श्री बी मुगुनथन	निदेशक
श्रीमती रितु अरोड़	निदेशक (13 मई 2021 तक )

\* श्री अशोक कुमार गोयल को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में श्री योगेश कुमार मिश्रा के स्थान पर दिनांक 01.01.2019 से पुनः पदनामित किया गया था। 01.10.2021

\*\* सभी निदेशक अंशकालीन (नामिति) निदेशक हैं जिन्हें धारक कंपनी (यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) द्वारा नामित किया जाता है। प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित अन्य सदस्य।

नाम	पद
श्री राजू मारुती कांबले	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सुश्री मीनाक्षी गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी ( 01.07.2021 तक )
श्री नागेंद्र जोशी	मुख्य वित्तीय अधिकारी ( 01.07.201 से 03.08.2021 तक )
श्री एस के बंद्योपाध्याय	मुख्य वित्तीय अधिकारी ( 03.08.2021 से 31.01.2022 तक )
श्री अनिल कौशली	मुख्य वित्तीय अधिकारी ( 24.02.2022 से )

**कंपनी सचिव**

नाम	पद
सुश्री अनुराधा कौशिक	कंपनी सचिव

ख) कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक ( केएमपी ) के साथ संव्यवहार निम्न हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	0.10	0.64
2	नियोजन पश्चात लाभ	0.42	0.03
3	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ		0.07
4	अंतिम लाभ		0.00
5	बैठक शुल्क		0.00
	<b>कुल</b>	<b>0.52</b>	<b>0.74</b>

संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वस्तु और सेवाओं की बिक्री	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	7.86	11.85
2	प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्यय, किराया और अन्य	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.03	0.02

	विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति (आय)				
3	ब्याज व्यय				
3.1	ऋण पर ब्याज व्यय	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	15.44	-
4	ऋणों का पुनर्भुगतान	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	45.00	81.22
5	प्राप्त अग्रिम / ऋण	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	-
6	स्थिर परिसंपत्ति की खरीद (जीएसटी के बिना)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	0.12
7	संभावित पूंजी अंशदान	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	65.79	0

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि निम्नानुसार हैं:

( रुपये करोड़ में )

क्र.सं	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1	प्राप्त इक्विटी (देयता)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	165.00	165.00
1क	संभावित पूंजीगत अंशदान (देयता)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	65.79	-
2	कर्ज	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	240.66	336.00
1	निम्न के प्रति देय राशि व्यापार देयताएं	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	17.94	14.92
				-	-

#### घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

- (i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्म-लैंड संव्यवहारों की शर्तों के समान किया जाता है, केवल नोट 12.1(ख) में उल्लिखित ऋण ब्यौरों को छोड़कर।
- (ii) ऋण को छोड़कर वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया राशि अरक्षित है और इनका बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निपटान होता है। ऋण और ब्याज रहित अग्रिमों के अतिरिक्त शेष संव्यवहार ब्याज मुक्त हैं।
- (iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण, यदि कोई हो, उन समान नियम और शर्तों पर है जो अन्य सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

#### नोट 30: प्रति शेयर आय

##### इंड एस - 33 ' प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

मूल ईपीएस की गणना वर्ष के इक्विटी धारकों के लाभ वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जिनके रूपांतरण पर जारी की जाएगी इक्विटी शेयरों को संभावित शेयर इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके की जाती है।

##### (i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय ( रुपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों के लिए लाभ ( करोड़ रुपए में )	(ii)	(24.62)	(21.38)
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(iii)	16.50	16.50
प्रति शेयर आय (मूल)		(1.49)	(1.30)
प्रति शेयर आय (विलयित)		(1.49)	(1.30)
प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त) ( करोड़ रूपए में )

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	(24.62)	(21.38)
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए लाभ	(24.62)	(21.38)

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	16.50	16.50
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	16.50	16.50
प्रदूषण प्रभाव:		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	16.50	16.50

**नोट 30: परिसंपत्ति की हानि**

इंड एस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" अनुपालन में, कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि, यदि कोई हो, की समीक्षा है। चूंकि हानि का कोई संकेत नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान कोई हानि को लेखांकित नहीं किया गया है।

**नोट 31: प्रावधान, आकस्मिकताएँ और प्रतिबद्धताएँ**

**(i) प्रावधान**

इंड एस 13 के अनुसार, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति हेतु कंपनी द्वारा वर्ष में कोई प्रावधान नहीं नहीं किए गए थे।

(ii) आकस्मिक देयताएं

इंड एस-37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताएं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

( रुपये करोड़ में )

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2021 तक	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान दावों का निपटान किया गया			31 मार्च 2022 तक
					आरंभिक शेष में से	वर्ष के दौरान संवर्धन में से	वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे	
क)	कंपनी के विरुद्ध दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया:		-	-	-	-	-	
ख)	कंपनी की ओर से जारी गारंटी (वित्तीय गारंटीधारकों को छोड़कर )		-	-	-	-	-	
ग)	अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है <sup>^^</sup>		-	132.63	-	-	132.63	
				<b>132.63</b>	-	-	<b>132.63</b>	

<sup>^^</sup>ऊपर उल्लिखित 132.63 करोड़ रूपए वित्त वर्ष 20167-18 के लिए आयकर मांग से संबंधित है जिसके प्रति आयकर विभाग में अपील दायर की गई है।

(iii) प्रतिबद्धताएं

( रुपये करोड़ में )

	विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
क)	पूंजी प्रतिबद्धताएं			
	पूंजी खाते (अग्रिम का निवल) पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया:	1	-	-

**फुटनोट:**

( रुपये करोड़ में )

क्र.सं	पूंजी प्रतिबद्धताएं	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
2	निवेश परिसंपत्ति पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
3	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	-	-
	<b>कुल</b>	-	-

**नोट 32. खंड रिपोर्टिंग:**

इंड एस-108 "प्रचालनिक सेगमेंट" का प्रकटन निम्नानुसार है:

**क. सामान्य जानकारी:**

"प्रचालनिक सेगमेंट को एक उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है, जिसका मूल्यांकन नियमित रूप से मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा किया जाता है, ताकि यह तय किया जा सके कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और निष्पादन का आकलन कैसे किया जाए। कंपनी का निदेशक मंडल मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है। प्रचालनिक खंडों उस रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें निष्पादन और संसाधनों के आवंटन की समीक्षा के लिए मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) आंतरिक रिपोर्टिंग को प्रदान की गई है।

कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से रिपोर्ट करने योग्य प्रचालनिक सेगमेंट निर्धारित किए हैं।



ख. वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट योग्य सेगमेंटों और राशियों के पुनर्विनियोजन संबंधी सूचना:

( रुपये करोड़ में )

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	-	-	55.46	54.86	55.46	54.86
जमा:एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवन में कंपनी का भाग	-	-	-	-	-	-
<b>कुल प्रचालनिक राजस्व</b>	-	-	<b>55.46</b>	<b>54.86</b>	<b>55.46</b>	<b>54.86</b>
ब्याज आय	-	-	0.23	0.30	0.23	0.30
कुल आय	-	-	0.09	0.14	0.09	0.14
अंतर-सेगमेंट	-	-	-	-	-	-
<b>कुल राजस्व</b>			<b>55.78</b>	<b>55.30</b>	<b>55.78</b>	<b>55.30</b>
<b>सेगमेंट परिणाम</b>						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादित मर्दों और कर पूर्व लाभ	-	-	35.36	12.08	35.36	12.08
घटा: प्रावधान और बट्टा खाता (निवल)	-	-	(21.44)	(2.09)	(21.44)	(2.09)
घटा:मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	-	-	(23.10)	(23.08)	(23.10)	(23.08)
घटा:ब्याज	-	-	(15.44)	-	(15.44)	-
<b>कर पूर्व लाभ</b>	-	-	<b>(24.62)</b>	<b>(13.09)</b>	<b>(24.62)</b>	<b>(13.09)</b>
घटा: कर व्यय	-	-	-	(8.29)	-	(8.29)
<b>कर पश्चात लाभ</b>	-	-	<b>(24.62)</b>	<b>(21.38)</b>	<b>(24.62)</b>	<b>(21.38)</b>

**ग. अन्य सूचना**

( रुपये करोड़ में )

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्तियां			484.78	509.34	484.78	509.34
देयताएं			315.37	381.10	315.37	381.10
इक्विटी विधि द्वारा लेखांकित संयुक्त उपक्रमों में निवेश			0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय प्रलेखों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर चालू परिसंपत्तियां			0.00	0.00	0.00	0.00
पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त)			0.02	(14.92)	0.02	(14.92)

**घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना**

कंपनी टोल रोड के निर्माण, प्रचालन, रखरखाव के व्यवसाय में संलिप्त है और इसका प्रमुख राजस्व उक्त टोल रोड का उपयोग करने वाले वाहनों से टोल संग्रह से प्राप्त होता है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के दौरान इनसे घरेलू सेगमेंट से ही राजस्व का लगभग 85.06% (पिछले वर्ष 78.73%) की वृद्धि हुई है। शेष लगभग 14.94 प्रतिशत (21.27 प्रतिशत) राजस्व एनएचएआई के साथ सेवा रियायत करार के अंतर्गत टोल रोड के निर्माण हेतु है।

नोट 33. इंड एस 115-“ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व’ के तहत प्रकटन

(क) राजस्व से असंयोजन

प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2022, को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एस-115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	-	-	-	-	-	-	-
राजमार्ग	55.46	-	55.46	55.46	-	-	55.46
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>55.46</b>	<b>-</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.46</b>

वर्ष के दौरान इंड एस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 7.86 करोड़ रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 47.61 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		

रेलवे	-	-	-	-	-	-	-
राजमार्ग	54.86	-	54.86	54.86	-	-	54.86
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>54.86</b>	<b>-</b>	<b>54.86</b>	<b>54.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.86</b>

वर्ष के दौरान इंड एस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 11.66 करोड़ रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 43.20 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

**ख. संविदा शेष:**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
व्यापार प्राप्य (नोट 7.1)	1.11	12.38
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 5 और 7.4)	0.19	1.79
संविदा दायित्व	-	-

- (i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा टोल एकत्रण एजेंसी शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान की शर्तों में उपयोगिता शिफ्टिंग प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान शामिल हैं और 60 से 180 दिनों की ऋण अवधि या जब काम प्रमाणित है, तो किसी भी तरह से सहमत होने पर काम के दायरे में बदलाव। भुगतान में टोल एकत्र किए गए टोल के उपयोग के लिए टोल प्राप्तियां भी शामिल हैं। कंपनी के लिए टोल संग्रह एजेंसी। कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजना बीओटी (निर्माण प्रचालन अंतरण) मॉडल के तहत है और भुगतान टोल एकत्रण और एनएचएआई द्वारा अतिरिक्त कार्यों, यदि कोई हो, के कारण है।
- (ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के

अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात् भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

#### वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	1.79	1.84
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	0.19	1.79
निवल वृद्धि/कमी	1.60	0.05

"मुख्य रूप से इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 और 2020-21 के दौरान क्रमशः (0.64) करोड़ रुपये और 0.83 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि/(कमी) हुई है, जबकि किए गए कार्य के बिल अनुबंध की स्थिति के आधार पर प्रमाणित होते हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, 0.83 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2021 को क्रमशः 1 अप्रैल 2021 और 1 अप्रैल 2020 को अनुबंध की संपत्ति के शून्य को ग्राहकों को बिलिंग पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया था।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

ग. स्वीकृत राजस्व की राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताओं में शामिल राशि	-	-
पिछले वर्ष संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

घ. संविदा प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य रूपए (31 मार्च, 2021 तक: शून्य रूपए) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन राशि शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2020-21 : शून्य रूपए) है।

च. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों से संबंधित सूचना नीचे सारबद्ध है:

31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित संव्यवहार मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
एक वर्ष के भीतर	-	-
एक वर्ष से दो वर्ष तक	-	-
दो वर्ष से अधिक	-	-
<b>कुल</b>	-	-

34 पट्टों

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने कार्यालय परिसर और गेस्ट हाउस के लिए दो पट्टे अनुबंधों में प्रवेश किया है। इंड एएस-116 स्वीकर करने से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) के निष्पादन की तारीख को वित्तीय पट्टा या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था। ये पट्टे अल्पकालिक पट्टों या कम मूल्य के पट्टों की प्रकृति के हैं और प्रचालनिक पट्टे हैं।

## पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति की वहन राशि और संचलन ब्यौरा निम्नानुसार है:

( रुपये करोड़ में )

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
आरंभिक शेष	-	-
संवर्धन	-	-
ब्याज की स्वीकृति	-	-
भुगतान	-	-
अंतिम शेष	-	-
चालू	-	-
गैर चालू	-	-

## लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत राशि

( रुपये करोड़ में )

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का मूल्यहास व्यय	-	-
पट्टा देयताओं पर ब्याज खर्च	-	-
अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों से संबंधित व्यय (संदर्भ नोट 18 )	0.03	0.04
	<b>0.03</b>	<b>0.04</b>

## ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

वर्तमान में कंपनी ने कोई वस्तु पट्टे पर नहीं दी गई है।

नोट 35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -

( रूपए लाख में )

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है:	-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	-	-
	उपर्युक्त पर ब्याज	-	-
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	-	-
3	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि।	-	-
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-	-



## नोट सं.37 अतिरिक्त विनियामक सूचना

### क. अनुपातों का प्रकटन

विवरण	न्यूमेरेटर	डिनॉमिनेटर	31 मार्च 2022	मार्च 31, 2021	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान किराया संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.58	0.60	-1.53%	लागू नहीं
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	1.42	2.62	-119.94%	अनुपात में कमी संभावित पूंजीगत अंशदान के कारण इक्विटी में वृद्धि और ऋण में तदनुरूपी कमी और आगे ऋणों की चुकौती के कारण है।
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	1.18	0.48	143.69%	पिछले वर्षों की तुलना में नकद घाटे में कमी और मूल भुगतान में कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	-0.17	-0.15	-7.51%	लागू नहीं
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री = सकल क्रेडिट बिक्री - बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	1.23	1.06	16.09%	लागू नहीं

व्यापार टर्नओवर अनुपात	देय शुद्ध ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद - खरीद वापसी	औसत व्यापार देय	0.45	1.06	-57.17%	अनुपात में कमी होल्डिंग कंपनी के उच्च औसत लेनदारों के कारण है, जो चालू वर्ष में देय हैं।
शुद्ध टर्नओवर अनुपात	पूंजी शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति - वर्तमान देनदारियां	-2.31	-2.33	-0.98%	लागू नहीं
शुद्ध अनुपात	लाभ शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	-0.44	-0.39	-13.91%	लागू नहीं
नियोजित पर रिटर्न	पूंजी ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.24	5.67	-95.70%	इस अनुपात में कमी ऋण चुकौती के कारण पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण में कमी और ब्याज माफी के कारण संभावित पूंजी अंशदान के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप कम नकारात्मक पूंजी लगाई गई है और इस तरह अनुपात प्रभावित हुआ है।
निवेश वापसी	पर ब्याज (वित्त आय)	निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. वर्ष 2021-22 के लिए, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रैल 2021 से जून 2021 तक टोल प्रचालन प्रभावित रहा। इसके कारण रिपोर्टि तिथि को, कोविड-19 महामारी की अवधि और प्रभाव की स्थिति अस्पष्ट है। इसलिए, इन परिणामों की अवधि और गंभीरता के साथ-साथ भविष्य की अवधि के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर उनके प्रभाव का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। हालांकि, कंपनी को रियायत अवधि के विस्तार के माध्यम से राजस्व हानि मुआवजे के रूप में अप्रत्याशित घटना के तहत इस तरह के नुकसान का दावा करने के लिए रियायत समझौते के खंड 29.6 द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है।

- ग. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- घ. बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।
- ड. कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाईयों) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं को, या (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं।
- च. कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी: (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या (ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की प्रदान करें।
- छ. कंपनी के पास प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों से ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।
- ज. कंपनी की लेखा नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में कोई बदलाव नहीं है।
- झ. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।
- ट . कंपनी के पास, कंपनी के नाम पर रखी गई अचल संपत्तियों का कोई शीर्षक विलेख नहीं है।
- ठ. कंपनी को बैंक के साथ वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए कंपनी द्वारा बैंक के साथ दायर किए गए विवरण और खात बहियों

के समायोजन का प्रावधान लागू नहीं है।

- उ. कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।
- ढ. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की किसी भी वस्तु का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- ण. कंपनी का ऐसा कोई लेनदेन नहीं है, जहां कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया है जिसके लिए इसे तुलनपत्र की तारीख में लिया गया था।
- त. कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जो उन लेखा बिहियों में दर्ज नहीं है जिन्हें बाद में आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण) के तहत या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत चल रहे कर निर्धारण के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकटन किया गया है। या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।
- थ. कंपनी को कोई अनुदान और दान नहीं मिला है।
- द. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता के रूप में घोषित नहीं किया गया है।
- ध. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है।
- न. सांविधिक अवधि के बाद कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या शुल्क की संतुष्टि नहीं है ।
- प. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवस्था की किसी भी योजना (योजनाओं) में प्रवेश नहीं किया है।
- फ. चूंकि कंपनी के पास बहियों में कोई पट्टा नहीं है, इसलिए किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

### नोट सं.37 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत शामिल नहीं है और इस अवधि के दौरान कोई सीएसआर व्यय नहीं किया गया है।

### नोट सं.38 अन्य प्रकटन

क) देनदारों, अग्रिमों और लेनदारों के तहत दिखाए गए कुछ शेष राशि पुष्टि/समाधान/समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी पार्टियों को पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है। हालाँकि, कंपनी इनकी वसूली/भुगतान के संबंध में किसी भी भौतिक विवाद की अपेक्षा नहीं करती है।

ख) प्रबंधन की राय में, व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा, जिस पर ये तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं।

ग) ग्राहक से वसूली योग्य दावों के तहत 21.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष: शून्य) की राशि, उपयोगिता अंतरण से संबंधित बिलों से संबंधित है- 2.67 करोड़ रुपये और 18.58 करोड़ रुपये के दायरे में बदलाव (सीओएस) से संबंधित हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार (एनएचएआई) से देय हैं। पिछले वर्षों में सीओएस प्राप्य को व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि उपयोगिता अंतरण से संबंधित देय राशि ग्राहक से प्रतिपूर्ति योग्य होने के कारण "अन्य वित्तीय संपत्ति" - अन्य के तहत वर्गीकृत किया गया था। ये बकाया, अभी भी ग्राहक से समाधान और प्रमाणन के अधीन हैं और इसलिए चालू, वर्ष में ग्राहक से वसूली योग्य दावों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

घ) 57.47 लाख रूपए के प्राप्य कार्य संविदाओं पर वेट की राशि को "अन्य प्राप्य" (नोट-7.4) के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है क्योंकि उपयोगिता शिफ्टिंग पर पूर्ववती वेट व्यवस्था में एनएचएआई द्वारा वेट की कटौती की गई है। ग्राहकों/ कर विभाग से इसकी वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। उपयोगिता शिफ्टिंग के कारण एनएचएआई से देय राशि की वसूली समायोजन के अधीन है।

ड.) दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 7.86 करोड़ रुपये (31/03/2021 तक 11.66 करोड़ रुपये) के दायरे में परिवर्तन के तहत किए गए कार्यों के लिए एनएचएआई को इनवायस भेजा है। इस राशि को व्यापार प्राप्य माना जाता है और इसका एनएचएआई के साथ समाधान किया जा रहा है और इसकी अभी तक एनएचएआई से प्राप्त/पुष्टि नहीं किया गया है।

च) कतिपय पूर्व-अवधिराशियों को चालू अवधि प्रस्तुतीकरणों के साथ समरूपता हेतु पुनःवर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकरणों का प्रचालनों के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, पिछलेवर्ष के आंकड़ों को प्रकोष्ठ ( ) में दर्शाया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से भिन्न दर्शाया जा सके।

छ) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ने दिनांक 12 अगस्त, 2021 के बोर्ड की मंजूरी के तहत 01 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए अपने ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है। कंपनी ने ऋण के उचित मूल्य और उचित मूल्य और के बीच के अंतर को मापा है। ऋण राशि को इंड एस के प्रावधानों के अनुसार अन्य इक्विटी के तहत "संभावित पूंजीगत अंशदानप" के रूप में प्रस्तुत किया गया है (नोट 11 देखें)।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते ए.एन गर्ग एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 004616N

ह/-

ए.एन.गर्ग

एफसीए भागीदार

सं.सं: 083687

यूडीआईएन:20083687AJMHA5680

ह/-

(मसूद अहमद)

(अध्यक्ष)

डीआईएन: 09008553

ह/-

(मुगुनथन बोजू गोडा)

निदेशक

डीआईएन: 8517013

ह/-

(आर.के.कामले)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-

(अनिल कौशल)

मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-

(अनुराधा कौशिक)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 23.05.2022

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन (सीएफओ)

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:-

1. इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।
2. ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।
3. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
4. हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।
5. हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और
6. हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-

राजू मारुति कांबले  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

ह/-

विनोद प्रसाद  
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
प्रधान निर्देशक लेखापरीक्षा का कार्यालय  
रेलवे वाणिज्यक नई दिल्ली  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT  
RAILWAY COMMERCIAL, NEW DELHI

संख्या: पी डी ए/आर सी/ AA-IPBTL/ 48-11/2022-23/80

दिनांक: 28.07.2022

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटेड,  
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,  
नई दिल्ली -110017.

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ |

महोदय,

मैं, इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों अंग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्न को सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

(विक्रम डी. मुरुगराज)  
प्रधान निर्देशक (रेलवे वाणिज्यक)

संलग्न: यथोपरी



**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।**

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 23 मई 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(विक्रम डी. मुरगाराज)  
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक  
रेल वाणिज्यिक नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 28.07.2022